एम/एस। केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी।

वी.

हिंडन कॉपर लिमिटेड।

(2006 की सिविल अपील No.2562)

02 जून, 2020

[आर. एफ. नरीमन, एस. रवींद्र भाट और

वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 48-प्रवर्तनीयता

विदेशी पुरस्कार-पक्षों के बीच वस्तु की बिक्री का अनुबंध-समझौते में दो स्तरीय मध्यस्थता शामिल थी जिसके द्वारा

पहले स्तर का निपटारा भारत में किया जाना था और यदि कोई भी पक्ष परिणाम से असहमत था, तो उस पक्ष को लंदन में आई. सी. सी. द्वारा आयोजित किए जाने वाले दूसरे मध्यस्थता के लिए अपील करने का अधिकार था-पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ

अपीलार्थी ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया-अपीलार्थी के खिलाफ आयोजित मध्यस्थ ने मध्यस्थता के दूसरे भाग का आह्वान किया

प्रत्यर्थी के खिलाफ समझौता विदेशी पुरस्कार

एस के तहत चुनौती दिए गए विदेशी पुरस्कार की प्रवर्तनीयता। 48 - उत्तरदाता इस आधार पर पुरस्कार की प्रवर्तनीयता पर आपत्ति जताई कि यह आई. सी. सी. मध्यस्थ के समक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ था-आयोजितः आई. सी. सी. मध्यस्थ ने प्रतिवादी को बड़ी संख्या में अवसर दिए थे।

दस्तावेजों और कानूनी प्रस्तुतियों को दाखिल करने के लिए-मध्यस्थ अत्यधिक था

प्रत्यर्थी के लिए उचित-न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने और उसके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद, मध्यस्थ द्वारा यह संकेत दिए जाने के बाद ही कि वह

एक पुरस्कार देने जा रहा था कि प्रतिवादी का वकील जाग गया और अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए समय मांगने लगा-यह भी था

मध्यस्थ द्वारा न केवल समय का विस्तार देकर बल्कि इस समय को और भी आगे बढ़ाकर दिया गया-अंत में जब कानूनी

75 पृष्ठों के प्रस्तुतिकरण उस समय से भी आगे भेजे गए थे

मान लिया, मध्यस्थ ने इसे ध्यान में रखा और फिर अपना निर्णय पारित किया-यह मामला होने के कारण, तथ्यों पर कोई गलती नहीं थी

मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन के साथ-विदेशी पुरस्कार लागू किया जाएगा।

सेंट्रोट्रेड की अपील को अनुमति देते हुए और एच. सी. एल. की अपील को खारिज करते हुए, अदालत ने पकड़नाः 1. मध्यस्थ ने प्रतिवादी को दस्तावेजों और कानूनी दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए बड़ी संख्या में अवसर दिए थे

प्रस्तुतियाँ। 03.05.2001 पर, मध्यस्थ ने निर्देश दिया कि अपीलार्थी, प्रतिवादी की प्रतिक्रिया और उसमें साक्ष्य का पालन करते हुए, एक स्पष्ट समय सारिणी के अनुसार, जवाब देने के लिए अपीलार्थी में अधिकार के साथ, सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करे। 30.07.2001 पर, क्योंकि कोई बचाव नहीं है

प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुतियाँ या सहायक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, समय बढ़ाया गया था, जिससे प्रत्यर्थी को अपना बचाव करने और ऐसा करने के लिए समय बढ़ाने का एक अंतिम अवसर मिला। अगस्त 2001 तक, प्रतिवादी ने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग नहीं लिया, भले ही ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया गया हो। यह केवल 09.08.2001 पर था, जब मध्यस्थ ने पक्षों को सूचित किया कि वह आगे बढ़ रहा है निर्णय, कि 11.08.2001 पर, मध्यस्थ को फॉक्स एंड मंडल, एचसीएल के वकीलों से एक फैक्स प्राप्त हुआ, जिसमें उनके बचाव में रखने के लिए एक महीने का समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसे मध्यस्थ द्वारा 16.08.2001 पर स्वीकार किया गया था, जिसमें 31.08.2001 तक का समय दिया गया था।

हालाँकि, 27.08.2001 पर, फॉक्स और मंडल ने समय के और तीन सप्ताह के विस्तार की मांग की, जिसे मध्यस्थ द्वारा भी प्रदान किया गया था, जिससे 12.09.2001 तक समय के अंतिम विस्तार की अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद

तथ्य यह है कि 75 पृष्ठों में चलने वाली कानूनी प्रस्तुतियाँ समय से परे प्रस्तुत की गई थीं, जो कि केवल 13.9.2001 पर थी, न्यूयॉर्क में 11.09.2001 हमले को देखते हुए, मध्यस्थ ने इसे प्राप्त किया और समय से परे होने के बावजूद इसे ध्यान में रखा। यह केवल 29.09.2001 पर था कि मध्यस्थ ने अपना पुरस्कार पारित किया। मध्यस्थ प्रत्यर्थी के प्रति अत्यंत निष्पक्ष था। इस प्रकार, मध्यस्थ के आचरण में कोई त्रुटि नहीं थी।

कार्यवाही। [पैरा 34] [106-एच; 107-ए-ई, जी]

कॉपर लिमिटेड (2006) 11 एससीसी 245: [2006] 2 पूरक। एस. सी. आर. 146; सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. v. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (2017) 2 एससीसी 228: [2016] 9 एससीआर 83; विजय करिया बनाम। प्रेमियन कवि ई सिस्टेमी एस. आर. एल. 2020 (3) स्केल 494; कवलाप्परा कोट्टाराथिल कोचुनी बनाम। मद्रास और केरल राज्य [1960] 3 एस. सी. आर. 887; गंगा जलरोधक कार्य (पी) लिमिटेड v. भारत संघ (1999) 4 एस. सी. सी. 33; सोहन लाल गुप्ता बनाम। आशा देवी गुप्ता (2003)

एम/एस। केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड।

7 एससीसी 492: [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 249; हरि ओम

माहेश्वरी बनाम. विनीतकुमार पारिख (2005) 1 एस. सी. सी. 379 - संदर्भित किया गया।

न्यूनतम धातु जर्मनी जी. एम. बी. एच. वी. फर्को स्टील लिमिटेड (1999)

सी. एल. सी. 647 जोर्फलास्फर एनर्जी कं. वी. एएमसीआई निर्यात निगम। 2008 डब्ल्यू. एल. 1228930; मोंक बनाम। हिल्टन 46 एलजेएनसी

167 ; कुकुरोवा होल्डिंग ए. एस. बनाम सोनेरा होल्डिंग बी. वी.

(2014) यूकेपीसी 15; पूर्वी यूरोपीय इंजीनियरिंग बनाम।

विजय कंसल्टिंग (2019) 1 एल. एल. आर. 1 (क्यू. बी. डी.)

राइव वी. कैनकन 134 एफ. सप 2 डी 789 के ब्रिग्स; चार

सीजन्स होटल्स बनाम। कंसोर्सियो बार एस. ए. 613 सप 2 डी

1362 (एस. डी. फ्ला. 2009) ; नानजिंग अनाज बनाम। भाग्यशाली।

जिंस XXI Y. B. com. अरब। 542 (1996) ; डी मायो

ग्यूसेप बनाम। इंटरस्किंस वाई. बी. कॉम. अरब। XXVII (2002)

492 – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2006] 2 पूरक। एससीआर 146

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

[2016] 9 एससीआर 83

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

संदर्भित किया गया है

पै

रा 9

2020 (3) स्केल 494

[1960] 3 एससीआर 887

पै

रा 16

संदर्भित किया गया है

(1999) 4 एससीसी 33

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2003] 3 पूरक। एससीआर 249

संदर्भित

पै

रा 20

को

(2005) 1 एस. सी. सी. 379

पै

रा 21

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2

2006 से।

उच्च न्यायालय के 28.07.2004 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कलकत्ता में A.P.O.T. 2004 की संख्या 182

के साथ

2006 की सिविल अपील सं. 2564

गौरव बनर्जी, सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रूबी एस

आहूजा, विशाल गेहराना, श्रवण साहनी, आशुतोष, पी. शुक्ला, अंकित या (मेसर्स के लिए)। करंजावाला एंड कंपनी), अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

हरिन पी. रावल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री नंदिनी सेन मुखर्जी, नी

सक्सेना, सुश्री सुकन्या सिंह, कार्तिकेय कनोजिया, सिद्धार्थ एच. आर. ए. एस. एस. जौहर, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

20] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. यह मामला इस पीठ के पास पिछले दो प्रयासों के बाद आता है -

यह न्यायालय।

गुजरात राज्य के कांडला बंदरगाह पर वितरित किए जाने वाले तांबे के सांद्रण का डी. एम. टी., प्रतिवादी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (जिसे इसके बाद "एच. सी. एल"./"प्रतिवादी" के रूप में संदर्भित किया गया है) के खेत्री संयंत्र में उपयोग किया जाने वाला उक्त माल, जो 2006 की अन्य दीवानी अपील No.2564 में अपीलकर्ता है। सभी खेपों की डिलीवरी के बाद, अनुबंध के अनुसार भुगतान किया गया था। हालांकि, वितरित किए गए तांबे के सांद्रण के सूखे वजन की मात्रा के संबंध में पक्षों के बीच विवाद पैदा हो गया। समझौते के खंड 14 में एक दो-स्तरीय मध्यस्थता समझौता था जिसके द्वारा पहले स्तर का निपटारा मध्यस्थता द्वारा किया जाना था। भारत। यदि कोई भी पक्ष परिणाम से असहमत है, तो उस पक्ष को लंदन में आई. सी. सी. द्वारा आयोजित दूसरे मध्यस्थता के लिए अपील करने का अधिकार होगा। अपीलार्थी मेसर्स सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल्स इंक. (इसके बाद "सेंट्रोट्रेड"/"अपीलार्थी" के रूप में संदर्भित) ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा नियुक्त मध्यस्थ ने दिनांक 15.06.1999 के एक पुरस्कार द्वारा शून्य पुरस्कार दिया। इसके बाद, सेंट्रोट्रेड ने मध्यस्थता समझौते के दूसरे भाग का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप आई. सी. सी. द्वारा नियुक्त जेरेमी कुक क्यू. सी. ने लंदन में दिनांक 29.09.2001 पर एक पुरस्कार दिया, जिसमें निम्नलिखित राशि प्रदान की गईः

प्रथम आगमन के लिए।

(2) एच. सी. एल. सेंट्रोट्रेड को 15 डॉलर की राशि का भुगतान करता है, जिसमें इस पुरस्कार की तारीख तक का ब्याज भी शामिल है।

पहला शिपमेंट।

(3) एच. सी. एल., खरीद मूल्य के संबंध में इस पुरस्कार की तारीख तक ब्याज सहित 284 डॉलर की राशि का भुगतान करें।

दूसरे शिपमेंट पर।

एम/एस। केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(4) एच. सी. एल. इस मध्यस्थता में अपनी कानूनी लागत का भुगतान 82,733 डॉलर की राशि में करता है और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय की लागत, मध्यस्थ की फीस और कुल खर्च

$ 29,000 .

(5) एच. सी. एल. इस पुरस्कार की तारीख से उपरोक्त राशियों पर केंद्रीय चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान तिमाही विश्राम के साथ प्रति वर्ष 6 प्रतिशत पर करती है।

वास्तविक भुगतान की तारीख तक।

3. इससे पहले कि जेरेमी कुक क्यू. सी. अपना फैसला सुना पाते, एच. सी. एल. ने लंदन में मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान राजस्थान राज्य के खेत्री में अदालत में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें चुनौती दी गई।

मध्यस्थता खंड। खेत्री न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका में दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, राजस्थान के उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई और निपटान तक अपीलार्थी को लंदन मध्यस्थता में आगे कदम उठाने से रोक दिया। उच्च न्यायालय द्वारा दी गई इस अंतरिम एकतरफा रोक को अंततः

सुप्रीम कोर्ट केवल 08.02.2001 पर है। इस बीच, हमें विश्वसनीय रूप से सूचित किया जाता है कि विद्वान मध्यस्थ, श्री कुक ने लंदन मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने से पक्षों के ठहराव के मामले को आई. सी. सी. न्यायालय को भेज दिया, जिसने तब निर्णय लिया कि मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही जारी रख सकता है।

4. जब उक्त अधिनिर्णय दिनांक 29.09.2001 को भारत में सेंट्रोट्रेड द्वारा लागू करने की मांग की गई, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने एच. सी. एल. की आपत्तियों पर विचार करने के बाद, एच. सी. एल. द्वारा दायर धारा 48 याचिका, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त विदेशी पुरस्कार भारत में निष्पादन योग्य हो गया। हालाँकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपने दिनांक 28.07.2004 के फैसले में कहा कि एक अपील बनाए रखने योग्य होगी क्योंकि लंदन पुरस्कार कर सकता है।

इसे विदेशी पुरस्कार नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह कि द्विस्तरीय मध्यस्थता खंड वैध होगा। हालाँकि, भारतीय पुरस्कार और लंदन पुरस्कार, समवर्ती अधिकार क्षेत्र वाले मध्यस्थों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार होने के कारण, एक-दूसरे के लिए पारस्परिक रूप से विनाशकारी थे, न ही इन्हें लागू किया जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप अपील की अनुमति दी गई और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

5. इस मोड़ पर, मामला इस न्यायालय की एक खंड पीठ के पास आया। एस. बी. सिन्हा, जे. और द्वारा दो अलग-अलग निर्णय दिए गए। तरुण चटर्जी, जे. ने सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल्स इंक में रिपोर्ट किया।

वी. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (2006) 11 एस. सी. सी. 245। मामले के तथ्यों को निर्धारित करने के बाद, एस. बी. सिन्हा, जे. ने कहा कि इस तरह का दो स्तरीय खंड [2020] 9 एस. सी. आर.

इस समझौते के खंड 14 में निहित कानून की नजर में गैर-कानूनी है और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 के तहत अमान्य होगा। मामले के इस दृष्टिकोण में, विदेशी निर्णय भारत में लागू नहीं हो सका और इसलिए सेंट्रोट्रेड की अपील को खारिज कर दिया गया, एचसीएल द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया। जे. तरुण चटर्जी ने पैराग्राफ 134 में चार प्रश्न इस प्रकार रखे हैंः

" 134. हमने सेंट्रोट्रेड की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सरकार और एचसीएल के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देबब्रत रे चौधरी को सुना है। मैंने पूरी सामग्री की भी जांच की है अभिलेख जिसमें मध्यस्थता समझौता, पुरस्कार और

डिवीजन बेंच के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय। हमारे सामने विद्वानों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थे

अपीलों में निर्णय के लिए पक्षों के लिए परामर्शः

(1) क्या समझौते के खंड 14 का दूसरा भाग

द्विस्तरीय मध्यस्थता का प्रावधान वैध और अनुज्ञेय था

अधिनियम के तहत भारत?

(2) यदि यह वैध है, तो समझौते के खंड 14 की व्याख्या पर, क्या यह कहा जा सकता है कि आई. सी. सी. मध्यस्थ के खिलाफ अपील में बैठा था भारतीय मध्यस्थ का पुरस्कार?

(3) आई. सी. सी. पुरस्कार विदेशी पुरस्कार है या नहीं?

(4) क्या एच. सी. एल. को प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया गया था

आई. सी. सी. मध्यस्थ के समक्ष मामला?

6. इन प्रश्नों का उत्तर यह कहते हुए दिया गया था कि द्विस्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया भारतीय कानून में वैध और अनुज्ञेय थी; कि आई. सी. सी. मध्यस्थ भारतीय मध्यस्थ के निर्णय के खिलाफ अपील में बैठा था; कि आई. सी. सी. पुरस्कार एक विदेशी पुरस्कार था; लेकिन चूंकि एच. सी. एल. को आई. सी. सी. मध्यस्थ के समक्ष अपना मामला पेश करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। सेंट्रोट्रेड की अपील को खारिज करना होगा और एच. सी. एल. की अपील को स्वीकार करना होगा।

7. यह मामला तब इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एक संदर्भ पर आया और सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक में रिपोर्ट किया गया है। वी. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (2017) 2 एस. सी. सी. 228. लोकुर, जे. के निर्णय के पैराग्राफ 1 में संदर्भ आदेश का उल्लेख इस प्रकार किया गया थाः

" इन अपीलों को संदर्भित किया गया है [केंद्रीय खनिज और

मेटल्स इंक. वी. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, (2006) 11 एस. सी. सी. 245] मेसर्स के बीच मतभेद को देखते हुए तीन न्यायाधीशों की पीठ को।

केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीश। 9-5-2006 पर दर्ज कार्यवाही का उल्लेख करके विवाद को सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता हैः

माननीय न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने अपने लॉर्डशिप और माननीय न्यायमूर्ति की पीठ के अपने लॉर्डशिप के फैसले को सुनाया।

तरुण चटर्जी।

हस्ताक्षरित निर्णय के संदर्भ में अपीलों का निपटारा करते हुए अपने लॉर्डशिप के फैसले की घोषणा की। मतभेद को देखते हुए, मामले को विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है। इस न्यायालय की रजिस्ट्री इस मामले को माननीय के समक्ष रखेगी। वृहत न्यायपीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश।

सिन्हा और चटर्जी, जे. जे. द्वारा लिए गए निर्णय। सूचित किया जाता है

सेन्ट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल्स इंक. v. हिन्दुस्तान कॉपर

लिमिटेड [सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल्स इंक. v. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (2006) 11 एस. सी. सी. 245] "

उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 5 में इस मामले में उठाए गए दो प्रश्नों को इस प्रकार निर्धारित किया गया हैः

" 5. विद्वान न्यायाधीशों के बीच मतभेद के परिणामस्वरूप हमारे विचार के लिए जो मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, वे इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः (1) क्या पक्षों के बीच अनुबंध के खंड 14 में दिए गए दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से विवादों या मतभेदों का निपटान भारत के कानूनों के तहत अनुमत है?

(2) यह मानते हुए कि भारत के कानूनों के तहत दो-स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया की अनुमति है, क्या निर्णय में दिया गया है

अपीलीय मध्यस्थता एक "विदेशी पुरस्कार" होने के कारण लागू किया जा सकता है।

मध्यस्थता की धारा 48 के प्रावधानों के तहत और

केन्द्रीय व्यापार के आग्रह पर सुलह अधिनियम, 1996? अगर ऐसा है तो क्या?

क्या सेंट्रोट्रेड राहत का हकदार है?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्तमान में, हम केवल पहले प्रश्न को संबोधित करने का प्रस्ताव करते हैं और उत्तर के आधार पर, अपीलों को शेष मुद्दे पर सुनवाई के लिए निर्धारित किया जाएगा। हमने इसे कुछ हद तक अपनाया है।

असामान्य पाठ्यक्रम क्योंकि व्यवसाय के रोस्टर ने हमें केवल छिटपुट रूप से अपीलों को सुनने की अनुमति दी और इसलिए पहले की कार्यवाही

हमें लगभग तीन महीने तक घसीटा गया।

चूंकि पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में दिया गया था, इसलिए न्यायालय ने

निष्कर्ष निकालाः

48. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे सामने पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है। अपीलों को फिर से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए दूसरे प्रश्न पर विचार जो अपीलीय निर्णय के प्रवर्तन से संबंधित है।

8. इस प्रकार अपीलों को दूसरे प्रश्न पर विचार करने के लिए फिर से सूचीबद्ध किया गया है, जो लंदन के प्रवर्तन से संबंधित है।

पुरस्कार।

9. सेंट्रोट्रेड की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गौरव बनर्जी ने हमें रिकॉर्ड के माध्यम से लिया है और विजय करिया बनाम मामले में इस अदालत के हालिया फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया है। प्रेमियन कवि ई सिस्टम एस. आर. एल. 2020 (3) स्केल 494। इसके बाद उन्होंने फैसले के उन हिस्सों का विस्तार से उल्लेख किया जो मामले के प्राकृतिक न्याय पहलू से संबंधित थे, साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले का भी उल्लेख किया जो उसी से संबंधित थे। इसके बाद उन्होंने हमें सेंट्रोट्रेड [2006] (ऊपर) में निहित न्यायमूर्ति चटर्जी के विचारों को पढ़ा और तर्क दिया कि मध्यस्थ द्वारा एच. सी. एल. को अपना मामला पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था, लेकिन यह कि एच. सी. एल., जिसकी जेब में एक भारतीय निर्णय था, किसी तरह लंदन मध्यस्थता कार्यवाही को रद्द करना चाहता था। इसने पहले वह मुकदमा दायर किया जिसे संदर्भित किया गया है, और 27.04.2000 पर मध्यस्थता में कार्यवाही करने से पक्षों के खिलाफ अंतरिम रोक प्राप्त की, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल 08.02.2001 पर खाली कर दिया गया था। जेरेमी कुक क्यू. सी. ने एच. सी. एल. को अपना मामला पेश करने के लिए छह अवसर दिए और कई बार प्रस्तुतियों और दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए समय बढ़ाकर पीछे हट गए, और यहां तक कि उन दस्तावेजों पर भी विचार किया जो थे

अंतिम समय सीमा बढ़ाए जाने के बाद एच. सी. एल. द्वारा दायर किया गया और फिर पुरस्कार पारित किया गया। इसलिए, उन्होंने न्यायमूर्ति चटर्जी के फैसले पर हमला करते हुए कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से गलत था जब यह कहा गया था कि एचसीएल को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। कई अन्य निर्णय दोनों एम/एस।

केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

श्री बनर्जी ने उनके समर्थन में भारतीय और विदेशी लोगों का उल्लेख किया

प्रस्तुत करना। विजय करिया के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा करने के अलावा (ऊपर), उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता 6 वीं संस्करण पर रेडफर्न और हंटर से उद्धृत करके धारा 48 की कार्यवाही के दृष्टिकोण पर भरोसा किया। और

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 पर मर्किन और फ्लैनरी।

10. एच. सी. एल. की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरिन पी. रावल ने प्रारंभिक निवेदन किया है कि

एस. बी. सिन्हा, जे. और तरुण चटर्जी, जे. के बीच मतभेद इस बात पर था कि क्या द्विस्तरीय मध्यस्थता खंड कानून में मान्य था। एक बार उस बिंदु का उत्तर दिए जाने के बाद, एस. बी. सिन्हा, जे. द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने पर, अपना मामला पेश करने में असमर्थ होने के सवाल को बड़ी पीठ के पास नहीं भेजा गया था क्योंकि इस पहलू पर विद्वान न्यायाधीशों के बीच कोई मतभेद नहीं था और इसलिए इस पहलू पर अब निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अन्यथा भी, उन्होंने तर्क दिया, पहली बार इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई तारीखों की सूची और दस्तावेजों की एक कागजी पुस्तक के आधार पर, यह दिखाने के लिए कि वास्तव में एक बार मध्यस्थ ने समय बढ़ा दिया था, अंतिम विस्तार 12.09.2001 तक था, उन्हें और समय देना चाहिए था जिसमें प्रस्तुत कानूनी प्रस्तुतियों के अलावा, एचसीएल के मामले के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते थे। यह विशेष रूप से है

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 11.09.2001 पर न्यूयॉर्क में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप विश्व स्तर पर परिवहन में व्यवधान पैदा हुआ था

और संचार, और इसलिए एच. सी. एल. के लिए आवश्यक समय के भीतर दस्तावेज़ भेजना बहुत मुश्किल था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर ऐसे दस्तावेज देखे जाते, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह एकतरफा पुरस्कार उनके मुवक्किल के पक्ष में रहा होगा, जिसके परिणामस्वरूप उनके मुवक्किलों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ था। अन्यथा भी, उन्होंने तर्क दिया कि अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को विद्वान मध्यस्थ के समक्ष प्रारंभिक प्रश्न के रूप में लिया जाना था, जिसके बाद आगे की कार्यवाही होनी थी। यह विद्वान मध्यस्थ द्वारा कभी नहीं किया गया था। इसके अलावा, एक भारतीय अदालत द्वारा एकतरफा अंतरिम रोक दिए जाने के बावजूद मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने में विद्वान मध्यस्थ के परिणामस्वरूप उसका मुवक्किल मध्यस्थ के समक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ था।

11. दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, पहले यह आवश्यक है कि पुरस्कार के कुछ हिस्सों को दिनांकित किया जाए 29.09.2001

जो एच. सी. एल. के विद्वान मध्यस्थ के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ होने के पहलू से संबंधित है। विद्वान मध्यस्थ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाही और उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन की छुट्टी का उल्लेख करने के बाद पाया किः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 7. जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 6 में बताया गया है, एचसीएल, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय और मुझे पत्रों की एक श्रृंखला द्वारा, मेरी क्षमता में

मध्यस्थ ने कहा कि अनुबंध के खंड 14 के दूसरे पैराग्राफ के तहत शुरू किया गया कोई भी मध्यस्थता अमान्य है और अगस्त 2001 तक उसने इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया, भले ही उन्हें मेरे द्वारा उनकी अधिकार क्षेत्र की आपत्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस रुख के बावजूद, फॉक्स और मंडल से इसके प्रक्रियात्मक पहलुओं के बारे में हमेशा सलाह ली जाती थी।

मध्यस्थता, प्रक्रिया, प्रगति और विवाद के सार के संबंध में उनकी प्रस्तुतियों के लिए कहा गया था, सेंट्रोट्रेड और मेरे बीच पारित सभी पत्राचार की प्रतियां प्राप्त हुईं

और किए गए सभी प्रस्तुतियों में से और उन्हें हर अवसर दिया गया है

किसी भी बिंदु को लेने के लिए जो वे अपने बचाव में लेना चाहते थे। 20 दिसंबर 2000,19 जनवरी 2001 और 3 मई 2001 को दिए गए आदेशों के अनुसार, मैंने निर्देश दिया कि सेंट्रोट्रेड प्रस्तुतियाँ और सहायक साक्ष्य प्रस्तुत करे, इसके बाद एच. सी. एल. की प्रतिक्रिया और समर्थन में साक्ष्य, जिसमें सेंट्रोट्रेड में जवाब देने का अधिकार हो।

एक स्पष्ट समय सारणी के अनुसार। जब उस समय एच. सी. एल. द्वारा कोई बचाव प्रस्तुतिकरण या सहायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था

निर्धारित किया गया, मैंने उन्हें 30 जुलाई 2001 को एक फैक्स भेजा, जिससे उन्हें बचाव करने के लिए उनकी ओर से किसी भी इरादे के बारे में मुझे सूचित करने और ऐसा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने का एक अंतिम अवसर मिला। 8. 9 अगस्त 2001 को एक और फैक्स के बाद, जिसमें मैंने पक्षों को सूचित किया कि मैं पुरस्कार के साथ आगे बढ़ रहा हूं, 11 अगस्त को मुझे फॉक्स एंड मंडल से एक फैक्स प्राप्त हुआ जिसमें बचाव करने के लिए एक महीने का समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। 16 अगस्त को मैंने आदेश दिया कि बचाव के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन के समर्थन में कोई भी प्रस्तुतियाँ और विवाद के मूल गुणों पर कोई भी प्रस्तुतियाँ, आवेदन के संबंध में किसी भी साक्ष्य के साथ और कोई भी प्रस्तुतियाँ मुझे 31 अगस्त 2001 तक प्राप्त होनी चाहिए, जिसके अभाव में मैं ऐसा नहीं करूँगा।

उन्हें कोई भी ध्यान दें। 27 अगस्त को फॉक्स एंड मंडल ने अपनी दलीलें देने और सहायक साक्ष्य देने के लिए और 3 सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग की। मैंने एक अंतिम विस्तार की अनुमति दी 12 सितंबर 2001 तक इन प्रस्तुतियों और साक्ष्य के लिए। मुझे पचहत्तर पृष्ठों की प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुईं।

13 सितंबर 2001, मेरे पहले के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए किसी भी सहायक साक्ष्य या किसी भी औचित्य के बिना। कोई आधार एम/एस नहीं है।

केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समय बढ़ाने के लिए किसी भी आवेदन के लिए आगे रखा गया था रक्षा प्रस्तुतियाँ डालना। वास्तव में कोई औपचारिक आवेदन नहीं था

ऐसा करने के लिए समय का विस्तार किया गया। इसलिए एच. सी. एल. के पास नहीं है अपने पहले के रुख को सही ठहराने का प्रयास किया और न ही मुझे कोई कारण बताया

किए गए गुण-दोषों पर उनकी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए

समय से बाहर। सेन्ट्रोट्रेड ने इन प्रस्तुतियों पर आपत्ति जताई है। यह तर्क देते हुए कि वे एच. सी. एल. की दृढ़ता के कारण अस्वीकार्य हैं

मेरे आदेशों का उल्लंघन। हालांकि, ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है उनके विलंबित स्वभाव के कारण, मैंने उन पर विचार किया है

प्रस्तुतियाँ और इसे बनाने में उन्हें पूरी तरह से ध्यान में रखा गया

पुरस्कार. मैंने अपने आदेशों में स्पष्ट कर दिया कि आगे कोई सामग्री प्रदान नहीं की गई इसके बाद ध्यान में रखा जाएगा, और मैंने ऐसा नहीं किया है।

9. एच. सी. एल. ने अपनी दलीलों में कहा कि क्षेत्राधिकार की कमी और इस लंदन मध्यस्थता की अयोग्यता लेकिन

उस पर पूर्वाग्रह के बिना, दोनों पर प्रस्तुतियाँ रखें

क्षेत्राधिकार संबंधी तर्क, के दूसरे पैराग्राफ की निरर्थकता

अनुबंध में और के गुण-दोष पर मध्यस्थता खंड विवाद। यह स्पष्ट है कि इस विवाद का निर्धारण किया जा सकता है

दस्तावेज़ घूमते हैं, जैसा कि यह अनिवार्य रूप से निर्माण के बिंदुओं पर होता है

भारतीय कानून के अनुबंध और मामलों के बारे में।

(जोर दिया गया)

अंततः, मध्यस्थ ने लंदन की कार्यवाही के लिए लागत का फैसला किया,

भारत में हुए मध्यस्थता के लिए लागत का निर्धारण करना।

12. कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश, जबकि

प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन के बारे में आपत्तियों के साथ, उक्त आपत्तियों को निम्नानुसार खारिज कर दिया गयाः

" श्री रॉय चौधरी तब प्रस्तुत करते हैं कि धारा 48 (1) (बी) को देखते हुए

अधिनियम के अनुसार, पुरस्कार प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि न तो इसकी सूचना दी गई है

अपना मामला पेश करने का अवसर दिया। मध्यस्थ ने इसका पालन किया आई. सी. सी. मध्यस्थता और सुलह नियम, हालांकि वे नहीं थे

मध्यस्थता समझौते में पक्षों द्वारा उल्लिखित, इसलिए

अधिनियम की धारा 48 (1) (बी) के अनुसार पुरस्कार प्रवर्तनीय नहीं था। श्री सरकार जवाब देते हैं कि प्रतिवादी को सभी अवसर दिए गए थे

अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन इसने पूर्ण गैर-सहयोग दिखाया

मध्यस्थ। मध्यस्थ द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यस्थता प्रक्रिया मध्यस्थता समझौते के खिलाफ विद्रोह न करें।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मैंने पाया कि याचिकाकर्ता ने 22 फरवरी, 2000 को आई. सी. सी. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रत्यर्थी ने 28 मार्च 2000 को सिविल जज, जूनियर डिवीजन, खेत्री की अदालत में एक मुकदमा दायर किया; वह मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में दूसरे मध्यस्थता को रोकना चाहता था। मध्यस्थ की नियुक्ति 7 जून, 2000 को की गई थी। अगस्त 2001 तक प्रतिवादी ने कहा कि मध्यस्थता समझौते का दूसरा भाग सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।

भारत, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से मध्यस्थता

मध्यस्थता की अनुमति नहीं थी। इस आधार पर प्रतिवादी ने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया। यह मामला शीर्ष अदालत तक ले गया। अंततः जब यह कोई आदेश प्राप्त करने में विफल रहा मध्यस्थता को रोकने के लिए, इसने पचहत्तर पृष्ठों में अपनी प्रस्तुतियाँ दायर कीं। हालाँकि कागजात मध्यस्थ तक पहुँच गए

निर्धारित तिथि पर, उन्होंने ऐसी प्रस्तुतियों पर विचार किया है। हालाँकि, उन्हें प्रतिवादी द्वारा बनाए गए मामले में कोई योग्यता नहीं मिली।

मध्यस्थ ने अभिलिखित किया है कि हर स्तर पर उन्होंने प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ प्रक्रियात्मक पहलुओं से परामर्श किया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रतिवादी ने कभी नियमों पर आपत्ति जताई थी और मध्यस्थ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो मध्यस्थ को निर्देशित करती है

एक ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जो समझौते में विचार नहीं की गई थी। यह है।

पुरस्कार से स्पष्ट है कि प्रतिवादी को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए सभी अवसर दिए गए थे। मुझे इन दलीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में नोटिस प्रत्यर्थी को नहीं दिया गया था या संदर्भ की शर्तों का निपटारा किया गया था। प्रत्यर्थी को हर चीज का पूरा ज्ञान था; उसे हर चीज के बारे में सूचित किया गया था। इसलिए मुझे इस शिकायत में कोई सार नहीं मिलता है कि प्रतिवादी अपना मामला पेश करने में असमर्थ था या वह प्रक्रिया जो पक्षों के समझौते द्वारा विचार नहीं की गई थी।

मध्यस्थ द्वारा अनुसरण किया गया। "

13. अपील में, डिवीजन बेंच ने अपने इस निष्कर्ष को देखते हुए कि डी एक विदेशी पुरस्कार नहीं है, धारा 50 को लागू करने से इनकार कर दिया।राशन अधिनियम, 1996 (जिसे इसके बाद "मध्यस्थता अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है), और कहा गया है कि लंदन पुरस्कार को लंबे समय तक भारतीय नील पुरस्कार घोषित किया जाता है। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, यह एच. सी. एल. द्वारा तर्क दिए गए मौखिक न्याय बिंदु पर नहीं गया।

14. इस अदालत में पहले दौर में, एस. बी. सिन्हा, जे. ने अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए न्याय के मुद्दे में नहीं गए कि मध्यस्थता खंड

शून्य और शून्य था। चटर्जी, जे., सेंट्रोट्रेड के एम/एस से सहमत होने के बाद।

केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]मध्यस्थता खंड पर, फिर मुद्दा सं। 4 और के रूप में आयोजित

बनाम ः

" मुद्दा 4

क्या एच. सी. एल. को अपना मामला पेश करने का उचित अवसर दिया गया था

आई. सी. सी. मध्यस्थ के सामने?

164. धारा 48 (1) (बी) के तहत विदेशी पुरस्कार का प्रवर्तन

अस्वीकार किया जा सकता है यदिः

" 48. (1) (ख) जिस पक्षकार के विरुद्ध अधिनिर्णय का अनुरोध किया गया है, उसे मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति की उचित सूचना नहीं दी गई थी।

मध्यस्थता कार्यवाही या अन्यथा अपने पेश करने में असमर्थ था

मामला; "(जोर दिया गया)

165. वर्तमान मामले में, एच. सी. एल. को मध्यस्थ की नियुक्ति की जानकारी थी। वास्तव में, इसने आई. सी. सी. मध्यस्थता कार्यवाही को रोकने के लिए भारतीय अदालतों से संपर्क किया था। दायर की गई विशेष अनुमति याचिका पर

राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र द्वारा

आई. सी. सी. मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगाते हुए, इस न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसके द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश था

8-2-2001 पर खाली किया गया और ICC के लिए निर्देश दिए गए कानून के अनुसार कार्यवाही जारी रखने के लिए।

166. यह सच है, अपने फैसले में, श्री जेरेमी लियोनेल कुक, आईसीसी मध्यस्थ ने नोट किया है कि उन्हें आईसीसी द्वारा 7-6-2000 पर नियुक्त किया गया था और एचसीएल ने इस आधार पर मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया कि अनुबंध में दूसरा मध्यस्थता खंड अमान्य था। उन्होंने सेंट्रोट्रेड और एच. सी. एल. को निवेदन दायर करने का निर्देश दिया

और दिनांकित 20-12-2000 आदेशों के माध्यम से साक्ष्य का समर्थन करते हुए,

19-1-2001 और 3-5-2001। लेकिन एच. सी. एल. ने इन आदेशों का पालन नहीं किया। 30-7-2001 पर, उन्होंने एच. सी. एल. को यह पता लगाने के लिए एक फैक्स भेजा कि क्या वे अपना बचाव दाखिल करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने 9-8-2001 पर एक और फैक्स भेजा जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि वह आगे बढ़ रहे हैं।

पुरस्कार। (जोर दिया गया) फिर 11-8-2001 पर, ICC मध्यस्थ

समय बढ़ाने के लिए जवाब मिला। उन्होंने समय दिया कि

31-8-2001 . उन्हें एचसीएल से एक और अनुरोध प्राप्त हुआ।

समय के आगे विस्तार के लिए 27-8-2001 पर प्रतिनिधि। वह.

12-9-2001 तक विस्तार दिया गया। उन्होंने पहला सेट प्राप्त किया

बिना किसी सबूत के एच. सी. एल. द्वारा दायर प्रस्तुतियाँ

13-9-2001 . उन्होंने उन प्रस्तुतियों पर विचार किया और उन्हें [2020] 9 एस. सी. आर. में ले लिया।

पुरस्कार देते समय लेखा। उन्होंने अपने पुरस्कार में आगे लिखा है किः

" मैंने अपने आदेशों में स्पष्ट कर दिया कि उसके बाद प्रदान की गई किसी भी सामग्री को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, और मैंने ऐसा नहीं किया है।

(जोर दिया गया)

यह अंतिम बयान इंगित करता है कि उन्हें एच. सी. एल. से और सामग्री मिली, जिस पर उन्होंने पुरस्कार देते समय विचार नहीं किया। इसके बावजूद, ऐसा लगता है कि एच. सी. एल. को मध्यस्थ द्वारा अपना मामला पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। हालांकि, इस सवाल पर तत्कालीन मौजूदा स्थिति से गौर किया जाना चाहिए। 167. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने 8-2-2001 पर कार्यवाही पर लगी रोक को हटा दिया। आई. सी. सी. मध्यस्थ का पहला निर्देश

पक्षकारों को, इस न्यायालय के 8-2-2001 पर आदेश के बाद, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए 3-5-2001 यानी लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद किया गया था। एच. सी. एल. के सहयोग का अनुरोध केवल 30-7-2001 यानी लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद किया गया था। फिर 9-8-2001 पर संचार में कहा गया कि मध्यस्थ था

पुरस्कार के साथ आगे बढ़ें। इस बार एच. सी. एल. की ओर से जवाब आया। इन अनुरोधों पर, एच. सी. एल. को 12-9-2001 पर समाप्त होने वाले लगभग एक महीने की समय सीमा दी गई थी। मध्यस्थ को पहला प्राप्त हुआ

एच. सी. एल. द्वारा 13-9-2001 पर दाखिल की गई प्रस्तुतियों का सेट। फिर उन्होंने 16 दिन बाद 29-9-2001 पर पुरस्कार जीता। ऐसा लगता है कि बीच में

13-9-2001 और उन्हें एच. सी. एल. से और सामग्री प्राप्त हुई, जिस पर उन्होंने पुरस्कार देते समय इस आधार पर विचार नहीं किया कि वे एच. सी. एल. को उनके द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त किए गए थे। 168. तथ्यों के उपरोक्त लेआउट से यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता कार्यवाही में शुरुआत से ही देरी हुई है जब सेंट्रोट्रेड ने 22-2-2000 पर ICC से संपर्क किया था। अधिकांश देरी एच. सी. एल. द्वारा कार्यवाही में भाग लेने से इनकार करने के कारण हुई। हालांकि, कुछ देरी हुई जो एच. सी. एल. के आचरण से संबंधित नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, 8-2-2001 से लेकर 3-5-2001 तक की अवधि जब मध्यस्थ का पहला निर्देश दिया गया था। पूरी मध्यस्थता कार्यवाही इस तरह से की गई थी जो तात्कालिकता की कमी का संकेत देती है। इसके अलावा, आई.

एच. सी. एल. के प्रस्तुत करने में योग्यता का पता लगाएं जो कुल विस्थापन एम/एस के कारण है।

केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

11-9-2001 के आतंकवादी हमले के कारण हवाई यातायात का, एच. सी. एल. द्वारा आई. सी. सी. मध्यस्थ को भेजी गई सामग्री देर से पहुंची। के तहत

इन परिस्थितियों में, उनकी सेवा में कुछ दिनों की देरी

मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लेने के लिए स्वीकार करने के बाद, सहायक साक्ष्य के साथ प्रस्तुतियाँ क्षम्य प्रतीत होती हैं और होनी चाहिए

माफ कर दिए गए हैं। समग्र तस्वीर को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियां और विलंब, मध्यस्थ द्वारा विचार करने से इनकार

स्थगन से इनकार कर दिया और जहाँ से इसे रोका नहीं जाता है अपना मामला प्रस्तुत करते हुए, यह, सामान्य रूप से, प्राकृतिक के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता है

न्याय और निष्पक्ष सुनवाई से इनकार। हालाँकि, देरी के आलोक में, जिनमें से कुछ एच. सी. एल. के आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं थे, समय पर प्रासंगिक सामग्री दाखिल करने में एच. सी. एल. की चूक को बहाना उचित था। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि एच. सी. एल. को निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिली और वह अपने मामले को प्रभावी ढंग से पेश नहीं कर सकी।

169. उपरोक्त कारणों से, मेरा विचार है कि एच. सी. एल.

आई. सी. सी. मध्यस्थ के समक्ष अपने मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं करना और

इसलिए आई. सी. सी. पुरस्कार के प्रवर्तन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अलग रखा जाना चाहिए और दोनों पक्षों को उनके समक्ष अपने मामले पेश करने का निष्पक्ष और उचित अवसर देने के बाद कानून के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही के नए सिरे से निपटारे के लिए मामले को आई. सी. सी. मध्यस्थ को वापस भेजा जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैंने आई. सी. सी. मध्यस्थ के फैसले को इस आधार पर दरकिनार कर दिया है कि एच. सी. एल. ऐसा करने में असमर्थ था। आई. सी. सी. मध्यस्थ के समक्ष अपने मामले को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए, अधिनियम की धारा 48 (1) (बी) के अनुपालन में, मैं आई. सी. सी. मध्यस्थ को तीन महीने के भीतर एक नया निर्णय पारित करने का निर्देश देता हूं।

नई मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत "।

15. राशन अधिनियम की धारा 48 (1) (बी) के विषय पर कानून इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में [2020] 9 एस. सी. आर. में निर्धारित किया गया है।

करिया (ऊपर)। उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 21 में, इस टी ने कहा कि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण था कि अंग्रेजी मध्यस्थता कानून के तहत फोरसैड पुरस्कार को कोई चुनौती नहीं दी गई थी, हालांकि उपलब्ध है,वर्तमान मामले के तथ्यों में। इसके बाद इस न्यायालय ने धारा 48 की चुनौती के प्रवर्तकों को निर्धारित किया जो इस न्यायालय में निम्नानुसार पहुँचती हैः

" 24. दोनों पक्षों के व्यापक तर्कों का उल्लेख करने से पहले, इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि मध्यस्थता की धारा 37 के विपरीत अधिनियम, जो उक्त अधिनियम के भाग 1 में निहित है, और जो 'घरेलू' मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने या अलग करने से इनकार करने के खिलाफ अपील का प्रावधान करता है, जहां तक विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन का सवाल है, तो विधायी नीति यह है कि किसी विदेशी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने से इनकार करने वाले निर्णय के खिलाफ अपील प्रदान की जाती है, लेकिन इसके विपरीत नहीं (यानी किसी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने का आदेश)। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायिका की नीति यह है कि ऐसे मामले में चेरी पर केवल एक काट होना चाहिए जहां धारा 48 में निहित अत्यंत संकीर्ण आधारों पर विदेशी पुरस्कार पर आपत्तियां की जाती हैं।

अधिनियम और जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। यह इस तथ्य के अनुरूप है कि भारत विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 1958 (इसके बाद "न्यूयॉर्क कन्वेंशन" के रूप में संदर्भित) का हस्ताक्षरकर्ता है और इस कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का इरादा रखता है कि एक व्यक्ति जो किसी कन्वेंशन से संबंधित है।

देश, और जो, ज्यादातर मामलों में, अपने मूल देश में उक्त पुरस्कार के लिए एक चुनौती प्रक्रिया से गुजरा है, तो इस तरह के पुरस्कार को जल्द से जल्द भारत में मान्यता प्राप्त करने और लागू करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा इसलिए है ताकि ऐसा व्यक्ति उस पुरस्कार के फल का आनंद ले सके जिसे चुनौती दी गई है और जिसे इसकी उत्पत्ति के देश में अस्वीकार कर दिया गया है, बशर्ते कि

धारा 48 के तहत प्रवर्तन का विरोध करें मध्यस्थता अधिनियम। इसे ध्यान में रखते हुए, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग इस तरह से निहित विधायी नीति को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले पर हमारे सामने कई दिनों से बहस की जा रही है जैसे कि यह किसी विदेशी पुरस्कार को मान्यता देने और लागू करने वाले फैसले की पहली अपील थी। अनुच्छेद 136 के प्रतिबंधित मापदंडों को देखते हुए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान जैसे मामलों में-जहां किसी विदेशी निर्णय को मान्यता देने और लागू करने वाले निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है-इस न्यायालय को ऐसे निर्णयों में हस्तक्षेप करने में बहुत धीमी गति से काम लेना चाहिए, और एम/एस की अपील पर विचार करना चाहिए।

केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

केवल कानून को निपटाने की दृष्टि से यदि कोई नया या अनूठा मुद्दा उठाया जाता है जिसका उत्तर उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले नहीं दिया गया है, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उपयोग मार्गदर्शन के लिए किया जा सके।

इस संबंध में भविष्य के मुकदमे की प्रक्रिया। इसके अलावा, यह केवल धारा 48 की घोर अवहेलना के एक बहुत ही असाधारण मामले में होगा।

मध्यस्थता अधिनियम जिसमें सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा

निर्णय जो किसी विदेशी पुरस्कार को मान्यता देता है और लागू करता है

अनुचित रूप से तैयार किया गया निर्णय हो सकता है। इन प्राथमिकताओं के साथ

टिप्पणी हम अब वकील की प्रस्तुतियों पर जा सकते हैं। "

इसके बाद अदालत ने मिनमेटल्स जर्मनी जीएमबीएच का हवाला दिया।

को स्टील लिमिटेड (1999) पैराग्राफ 59 में सी. एल. सी. 647, और जोर्फ लासफर जी. को. वी. एएमसीआई निर्यात निगम। 2008 पैराग्राफ में डब्ल्यूएल 1228930

निम्नलिखित हैः

" 59.अंग्रेजी निर्णय एक व्यक्ति के परीक्षण को लागू करने की वकालत करते हैं जिसे मामलों द्वारा अपने मामले को प्रस्तुत करने से रोका जा रहा है।

अपने नियंत्रण से बाहर। यह मिनिमेटल्स जर्मनी में किया गया था। जीएमबीएच वी. फर्को स्टील लिमिटेड (1999) सी. एल. सी. 647 निम्नानुसार हैः

" मेरे निर्णय में, एस के भीतर मध्यस्थों के सामने मामला पेश करने में असमर्थता। 103 (2) (ग) कम से कम इस बात पर विचार करता है कि प्रवर्तक को बाहर के मामलों द्वारा अपना मामला पेश करने से रोका गया है। उसका नियंत्रण। यह आम तौर पर उस मामले को शामिल करेगा जहां

अपनाई गई प्रक्रिया को इसके विपरीत तरीके से संचालित किया गया है प्राकृतिक न्याय के नियम। हालाँकि, जहाँ प्रवर्तक ने अपने नियंत्रण में मामलों के कारण, अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए उसे दिए गए अवसर का लाभ उठाने के साधन प्रदान नहीं किए हैं, वह मेरे निर्णय में, खुद को उस अपवाद के भीतर नहीं लाता है। में।

वर्तमान मामला यही हुआ है "

XXX XXXXX

61. इस परीक्षण का एक अनुप्रयोग जोर्फ लासफर एनर्जी में पाया जाता है। को. वी. एएमसीआई निर्यात निगम। 2008 डब्ल्यूएल 1228930, जहाँ यू. एस.

जिला न्यायालय, डब्ल्यू. डी. पेनसिल्वेनिया ने फैसला किया कि यदि कोई पक्ष विफल रहता है मध्यस्थ द्वारा दिए गए प्रक्रियात्मक आदेशों का पालन करें, इसके परिणाम भुगतने होंगे। यदि एक प्रक्रियात्मक आदेश के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण साक्ष्य को बाहर रखा जाता है, तो एक पक्ष उद्देश्यपूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

निर्णय लेने वाले निकाय के प्रक्रियात्मक निर्देशों को नजरअंदाज करें और फिर सफलतापूर्वक दावा करें कि प्रक्रियाएं अनुचित या उल्लंघनकारी थीं [2020] 9 एस. सी. आर.

उचित प्रक्रिया। इसी तरह, डोंगवू मान + हम्मेल कंपनी में।

टी. डी. वी. मान + हम्मेल जीएमबीएच (2008) एसजीएचसी 275, सिंगापुर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया किः

" 145. एक खोज आदेश का पालन करने के लिए जानबूझकर इनकार है

स्वयं सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं है क्योंकि

मध्यस्थता में प्रतिकूल प्रक्रिया संभावित को स्वीकार करती है पार्टी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की मंजूरी

जो अनुपालन में विचाराधीन दस्तावेज़ का उत्पादन नहीं करता है एक आदेश के साथ। न्यायाधिकरण निश्चित रूप से सभी पर विचार करेगा

प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों, और द्वारा प्रस्तुतियाँ

न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षकार यह तय करते हैं कि एक रेखा खींचनी है या नहीं

गैर-उत्पादन के लिए प्रतिकूल अनुमान। डोंगवू ने भी

पेश करने के लिए मजबूर करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने की स्वतंत्रता

आई. ए. ए. की धारा 13 और 14 के तहत दस्तावेज, यदि यह नहीं था

केवल प्रतिकूल के प्रश्न पर बहस करने के साथ सामग्री

अनुमान और अगर इसे एम + एच द्वारा उत्पादन की सख्त आवश्यकता है

उन दस्तावेजों का उनके निरीक्षण के लिए ताकि वे ठीक से कर सकें

एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने पर बिंदु का तर्क दें। हालांकि,

डोंगवू ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया।

146. इसके अलावा, वर्तमान मामला एक पक्ष का नहीं था।

हानिकारक दस्तावेज़ के अस्तित्व को भी छुपाता है और फिर

बेईमानी से इसके अस्तित्व से इनकार करता है ताकि विरोधी पक्ष

यह प्रस्तुत करने का भी मौका नहीं है कि एक प्रतिकूल

गैर-उत्पादन के लिए निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। वास्तव में एम + एच दस्तावेजों के अस्तित्व का खुलासा किया लेकिन कारण बताए

वह उनका खुलासा क्यों नहीं कर सका। यहाँ, डोंगवू के पास पूरा था

यह प्रस्तुत करने का अवसर कि एक प्रतिकूल निष्कर्ष होना चाहिए ड्रा किया, लेकिन यह न्यायाधिकरण को प्रतिकूल ड्रा करने के लिए मनाने में विफल रहा

अनुमान। न्यायाधिकरण ने अपने समक्ष अन्य साक्ष्यों की जांच की, पक्षों की प्रस्तुतियों पर विचार किया और सही ढंग से

मुझे लगता है कि न्यायाधिकरण इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था यह निर्धारित करने के लिए अपनी सामान्य तथ्य खोजने की शक्तियों का प्रयोग करना कि क्या

या कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए।

9999

न्यायालय ने अंततः इस पहलू पर अपने निष्कर्ष का सारांश दिया

निम्नलिखित हैः

एम/एस। केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 76. इस तथ्य को देखते हुए कि धारा 48 का उद्देश्य लागू करना है कुछ अच्छी तरह से परिभाषित संकीर्ण अपवादों के अधीन विदेशी पुरस्कार,

अभिव्यक्ति "अन्यथा अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ था"

धारा 48 (1) (बी) में घटित होने का विस्तृत अर्थ नहीं दिया जा सकता है और इसे उक्त वाक्यांश से पहले के शब्दों के संदर्भ और रंग में पढ़ना होगा। संक्षेप में, यह अभिव्यक्ति एक होगी

प्राकृतिक न्याय का पहलू, जिसका उल्लंघन केवल तभी किया जाएगा जब एक निष्पक्ष

मध्यस्थ द्वारा पक्षकारों को सुनवाई नहीं दी गई। धारा 48 (1) (बी) के पहले भाग के साथ पढ़ें, यह स्पष्ट है कि यह अभिव्यक्ति

सुनवाई के चरण में आवेदन करेगा और पुरस्कार के बाद नहीं

वितरित किया गया, जैसा कि सांगयोंग (सुप्रा) में आयोजित किया गया है। एक अच्छा। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई पक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ रहा है, यह देखने के लिए कार्य परीक्षण है कि क्या पक्ष के बाहर के कारक

पक्ष को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित करने के लिए नियंत्रण ने संयुक्त रूप से काम किया है। इस प्रकार,

जहां किसी ऐसे तर्क से निपटने का कोई अवसर नहीं दिया गया था जो मामले की जड़ तक जाता है या साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष जो पक्ष के पीछे जाता है और जिसके परिणामस्वरूप पक्ष के पूर्वाग्रह के लिए न्याय से इनकार किया जाता है; या अतिरिक्त या नया साक्ष्य लिया जाता है जो उस पुरस्कार का आधार बनता है जिसके आधार पर किसी पक्ष को खंडन का कोई अवसर नहीं दिया गया है, किसी दिए गए मामले के तथ्यों के आधार पर, एक विदेशी पुरस्कार को अलग करने के लिए उत्तरदायी बना देगा।

हमेशा समर्थन के साथ पढ़ने के बजाय इसे बनाए रखने की प्रवृत्ति रखें। धारा 48 के तहत विदेशी पुरस्कारों के साथ संभव न्यूनतम हस्तक्षेप को देखते हुए, नष्ट करने की तुलना में। "

16. श्री रावल ने इस शब्द की व्याख्या पर आपत्ति जताई।

धारा 48 (1) (बी) में निहित और कवलाप्परा कोट्टाराथिल कोचुनी बनाम में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ का हवाला दिया। राज्योंमद्रास और केरल (1960) 3 एससीआर 887, इस प्रस्ताव के लिए कि

"अन्यथा" शब्द को शब्दों के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है।

टी इससे पहले।

17. कोचुनी का मामला (उपरोक्त) मद्रास मरुमक्कथयम (संदेह निवारण) अधिनियम की संवैधानिक पहचान से संबंधित था।

5. उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 (बी) इस प्रकार हैः

" 2. न्यायालय के किसी भी निर्णय के बावजूद, इस संबंध में कोई भी स्थानम

जिनमें सेः

अधिकार के रूप में स्थानम गुण होने वाले गुणों से, या किसी प्रथा के अनुसरण में या अन्यथा " संविधान पीठ ने तब निर्णय दिया:

" यह तर्क दिया जाता है कि संदर्भ में "अन्यथा" शब्द का अर्थ एजुस्डेम जेनरिस के नियम को लागू करके लगाया जाना चाहिए। नियम है।

यह है कि जब सामान्य शब्द एक ही प्रकृति के विशेष और विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करते हैं, तो सामान्य शब्द उसी प्रकार की चीजों तक सीमित होने चाहिए जो निर्दिष्ट हैं। लेकिन यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है

तय किए गए मामले से नीचे कि विशिष्ट शब्दों को एक बनाना चाहिए

विशिष्ट वंश या श्रेणी। यह कानून का एक अलंघनीय नियम नहीं है, लेकिन इसके विपरीत संकेत के अभाव में केवल अनुमेय अनुमान है। इस नियम के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि खंड में उल्लिखित अधिकार या प्रथा एक विशिष्ट वंश है।

अधिकार या अनुबंध के अनुरूप जैसे कि खोया हुआ अनुदान, प्राचीन उपयोगकर्ता आदि। यह हमें प्रतीत होता है कि शब्द "अन्यथा" में केवल संदर्भ का अर्थ है "जो भी रखरखाव की प्राप्ति का मूल हो सकता है"। विधान के उद्देश्यों में से एक है

अदालतों के फरमानों को पारित करें और प्रिवी काउंसिल ने देखा ताकि रखरखाव की प्राप्ति इनाम से भी बाहर हो। यह सबसे अधिक संभावना है कि दान और अनुग्रह के कार्यों को भी शामिल करने के लिए व्यापक आयाम के एक शब्द का उपयोग किया गया था। यदि ऐसा है, तो विवादित अधिनियम के तहत दान से रखरखाव का भुगतान भी किया जाता है

एक स्वीकृत स्थानम के चरित्र को नष्ट कर देगा जो पूर्व

यह अनुचित और अनुचित प्रतीत होता है "।

1955 के अधिनियम के उद्देश्य को देखते हुए, संविधान पीठ थी

उल यह कहने के लिए कि संदर्भ में "अन्यथा" शब्द का केवल अर्थ है

टेवर रखरखाव की प्राप्ति का मूल हो सकता है।

18. पी. रामनाथ अय्यर का एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन परिभाषित करता है कि

ssion "अन्यथा" निम्नानुसार है:

" अन्यथा। अन्य समान साधनों से; इसके विपरीत; उससे अलग

जिससे यह संबंधित है; एक अलग तरीके से; दूसरे तरीके से; किसी भी तरह से

दूसरे तरीके से; अलग-अलग मामलों में अलग-अलग;

क्षमता की तरह कुछ और "। लॉ लेक्सिकन तब क्लीसबी बी के प्रारंभिक निर्णय को संदर्भित करता है।

ओंक वी. हिल्टन 46 एलजेएनसी 167, जिसमें यह निम्नानुसार कहा गया हैः

एम/एस। केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" एक सामान्य नियम के रूप में "अन्यथा" जब एक गणना का पालन करते हैं, तो एक सामान्य व्याख्या प्राप्त करनी चाहिए (प्रति क्लीज़बी, बी. मोंक बनाम। हिल्टन, 46 एल. जे. एम. सी. 167, 'या अन्यथा' शब्द, कानून में, जब विवरणों की गणना के बाद एक सामान्य वाक्यांश के रूप में उपयोग किया जाता है, तो आमतौर पर सीमित अर्थों में व्याख्या की जाती है, जैसे कि ऐसे अन्य मामलों का उल्लेख किया जाता है जो पहले उल्लिखित वर्गों से संबंधित हैं।

जैसा कि विजय करिया (ऊपर) के पैराग्राफ 76 में कहा गया है, धारा 48 का संदर्भ विदेशी पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन है।

19. वास्तव में, इस न्यायालय के पहले के तीन निर्णय, सभी मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत, भी निर्देशात्मक हैं। जिस आधार पर 1940 के अधिनियम की धारा 30 के तहत एक घरेलू पुरस्कार को अलग रखा जा सकता था, वह था यदि मध्यस्थ ने खुद को या कार्यवाही को गलत तरीके से संचालित किया। यह देखा जाएगा कि एक पुरस्कार को अलग करने के आधार के रूप में "कदाचार" वैचारिक रूप से एक पक्ष द्वारा मध्यस्थ के समक्ष अपना मामला पेश करने में असमर्थ होने की तुलना में बहुत व्यापक है, जो धारा 48 (1) (बी) में निहित है। इस प्रकार, गंगा जलरोधक कार्य (पी) लिमिटेड v. भारत संघ (1999) 4 एससीसी 33 , इस न्यायालय को मध्यस्थता कार्यवाही की वैधता और वैधता का सामना करना पड़ा था, जिसमें तीन आधार निम्नानुसार उठाए गए थेः

" 2. मध्यस्थता कार्यवाही की वैधता और वैधता को तीन आधारों पर चुनौती दी गई हैः सबसे पहले, कि दावेदार-भारत संघ (इसमें प्रतिवादी) ने मध्यस्थ के समक्ष दस्तावेजों के साथ एक अतिरिक्त बयान दायर किया

11-8-1982 , जो सुनवाई का अंतिम दिन था, और उस पर मध्यस्थ द्वारा याचिकाकर्ता को बताए बिना विचार किया गया था

उसी का विरोध करने या याचिकाकर्ता को इसकी एक प्रति देने का अवसर; दूसरा, हालांकि किसी भी पक्ष द्वारा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, फिर भी मध्यस्थ ने अपने निर्णय में कहा है

9 एस. सी. आर. ने उन साक्ष्यों को सुना है जो कार्यवाही और उपलब्ध सामग्री के अभिलेख पर विवेक के अप्रयोग को दर्शाते हैं।

मध्यस्थ के समक्ष; और तीसरा, कि 11-8-1982 पर आयोजित बैठक में मध्यस्थ ने पक्षकारों को मुश्किल से पाँच या सात मिनट के लिए सुना जिसमें सीमित समय, कोई वास्तविक सुनवाई नहीं हो सकती थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिस तरीके से मध्यस्थ ने अपना आचरण किया है, उसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है और मध्यस्थता की कार्यवाही दूषित हुई है। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष और उच्च न्यायालय के समक्ष अंतर-न्यायालय अपील में भी इसी तरह के आधार उठाए गए थे और उन्हें खारिज कर दिया गया है। पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी यह भी राय है कि यहाँ भी याचिकाकर्ता को उसी भाग्य का सामना करना चाहिए।

जहाँ तक पहले आधार का संबंध था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वास्तव में, भारत संघ द्वारा 11.08.1982 पर कुछ भी दायर नहीं किया गया था और भारत संघ द्वारा विद्वान मध्यस्थ के समक्ष दायर किए गए अतिरिक्त बयान और दस्तावेज बहुत पहले 31.05.1982 पर थे। ऐसा होने के कारण, और चूंकि एक अतिरिक्त हलफनामे में कोई विशिष्ट मामला नहीं बनाया गया था

विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष इस याचिका का समर्थन करते हुए कि अतिरिक्त बयान और दस्तावेज जो प्रस्तुत किए गए थे, अपीलार्थी द्वारा प्रभावी ढंग से निपटाए नहीं जा सके, याचिका सं। 1 अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद तीसरे विवाद का निपटारा इस प्रकार किया गयाः

" 6. आग्रह की गई तीसरी और अंतिम याचिका समान रूप से किसी भी योग्यता से रहित है। मध्यस्थ की ओर से दुर्व्यवहार या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की शिकायत के समान आपत्ति के रूप में आग्रह किए गए कथन को साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर था। याचिका को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। सुनवाई में वास्तव में क्या हुआ था और क्या यह एक वास्तविक सुनवाई थी या केवल एक छलावा था, इस बारे में गवाही देने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति वह वकील था जिसने वास्तव में मध्यस्थ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ दीं। याचिकाकर्ता से कम से कम यह उम्मीद की जा रही थी कि उसने अदालत के समक्ष वकील का हलफनामा दायर किया होगा। ऐसा नहीं किया गया। समय पर कोई विरोध नहीं

मध्यस्थ के समक्ष उठाया गया था। सुनवाई 11-8-1982 पर समाप्त हुई और पुरस्कार 23-8-1982 पर दिया गया। इन 12 दिनों के दौरान भी, याचिकाकर्ता-कंपनी ने मध्यस्थ के समक्ष कभी आग्रह नहीं किया कि मध्यस्थ द्वारा उसकी ओर से प्रस्तुतियाँ करने की अनुमति नहीं दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि याचिका एक विचार के बाद की गई थी और निश्चित रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं पाते हैं। एम/एस।

केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

20. सोहन लाल गुप्ता बनाम। आशा देवी गुप्ता (2003) 7 एससीसी

इस न्यायालय ने मध्यस्थ द्वारा कार्यवाही के कदाचार से निपटा। कमियाँः

" 27. मध्यस्थ, जैसा कि बैठक के कार्यवृत्त से प्रकट होता है,

केवल दस्तावेजी साक्ष्य पर आगे बढ़े। कोई पार्टी दिखाई नहीं देती है

मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना। इस प्रकार, क्रॉस का सवाल

दूसरे की ओर से उपस्थित होने वाले गवाहों की परीक्षा

पार्टियाँ नहीं उठीं। प्रस्तुतियाँ की जानी चाहिए थीं

पार्टियाँ स्वयं। घनश्यामदास गुप्ता यह नहीं कहते कि उन्होंने 15-6-1976 या किसी भी बाद की तारीख पर दिखाई देने में कठिनाई थी

और उन्होंने स्थगन की मांग की थी। अन्यथा भी, एक पार्टी

उसे अपनी सुविधा के लिए परामर्श लेने पर जोर देने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है हर मामले में। मामला मध्यस्थ के विवेक के अंतर्गत है।

और न्यायालय केवल सकारात्मक दुरुपयोग की स्थिति में हस्तक्षेप करेगा। (मॉन्ट्रोस कैन्ड फूड्स लिमिटेड देखें। [(1965) 1 लॉयड्स रेप 597]

) यदि कोई पक्ष, उचित सूचना दिए जाने के बाद, उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुनता है,

तब उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही ठीक से जारी रह सकती है। (देखें।

ब्रिटिश ऑयल एंड केक मिल्स लिमिटेड बनाम होरेस बैटिन एंड कंपनी लिमिटेड

(जोर दिया गया)

[(1922) 13 एल. आई. एल. रेप 443]) "

एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ में जो कानून का पूर्वाभास देता है क्योंकि यह है

, इस न्यायालय ने न्यूनतम (ऊपर) निर्णय को संदर्भित किया और अभिनिर्धारित किया

कमियाँः

" 43. इसके अलावा, इस मामले में घनश्यामदास गुप्ता ने स्पष्ट रूप से यह कहते हुए एक आवेदन दायर करके अपना अधिकार छोड़ दिया कि वह

अपनी आपत्ति वापस लें। किसी दिए गए मामले में इस तरह का त्याग हो सकता है

अन्यथा घनश्यामदास गुप्ता के लिए उपलब्ध नहीं होता कार्यवाही में भाग लेने वाले अन्य लोगों के लिए उपलब्ध। वे ऐसा नहीं कर सकते।

घनश्यामदास गुप्ता द्वारा की गई याचिका का लाभ उठाएँ। प्रत्येक

प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत करने वाले पक्ष को साबित करना होगा न्याय से इनकार करने में मध्यस्थता न्यायाधिकरण का कदाचार

उन्हें। अपीलार्थी को यह दिखाना होगा कि वह अन्यथा सक्षम नहीं था अपना मामला प्रस्तुत करें जिसका अर्थ होगा कि मामले बाहर थे

उसका नियंत्रण और लाभ उठाने में अपनी विफलता के कारण नहीं एक ऐसा अवसर जो उसे विधिवत दिया गया हो। (मिनमेटल्स जर्मनी देखें

जीएमबीएच वी. फर्को स्टील लिमिटेड [(1999) 1 ऑल ई. आर. (कॉम) 315]) यह

इलेक्ट्रिक कं. [1994 सप (1) एस. सी. सी. 644: ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 860] कानून के उक्त प्रस्ताव के लिए एक सूचक। (जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. हरि ओम माहेश्वरी बनाम। विनितकुमार पारिख (2005) 1 379, इस न्यायालय ने मामले के प्राकृतिक न्याय पहलू पर आधे अपीलार्थी की उपस्थिति में विद्वान वकील की दलीलें दर्ज कीं

वीएसः

" 7. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि जिन आधारों पर उच्च न्यायालय ने पुरस्कार को रद्द किया है, वे विचार किए गए आधार नहीं हैं।

प्रमुख साक्ष्य के लिए एक और अवसर देने के लिए एक प्रार्थना को उचित रूप से स्वीकार नहीं किया। मध्यस्थों द्वारा आगे के अवसर से इनकार करना अधिनियम की धारा 30 के तहत पुरस्कार को रद्द करने के लिए विचारित आधार नहीं होगा। इसलिए, नीचे दिए गए न्यायालयों ने अधिनियम की धारा 30 के दायरे से परे जाने की अनुमति दी है। मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग रखने के लिए याचिकाएं "।

उपरोक्त मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष, जिसे मामले के तथ्यों पर खंड पीठ के फैसले द्वारा स्वीकार किया गया था,

उक्त निर्णय के पैराग्राफ 12 में इस प्रकार कहा गया हैः

" 12. यह उपरोक्त पुरस्कार है जिसे मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई थी।

उत्तरदाता जिसे विद्वान एकल द्वारा अनुमति दी गई थी

" मेसर्स डी. जैन एंड कंपनी की प्रतिपरीक्षा 1997 में समाप्त हो गई थी, श्री माहेश्वरी के संदर्भ में जांचे गए गवाह की प्रतिपरीक्षा 8-4-1999 पर पूरी की गई थी और मध्यस्थों ने मामले को 10-5-1999 और 11-5-1999 तक स्थगित कर दिया ताकि याचिकाकर्ता अपना साक्ष्य दे सके। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने गलत तारीख नोट की और इसलिए, वह 10-5-1999 पर उपस्थित नहीं हुआ। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है सुनवाई की तारीख दर्ज करने में उनके द्वारा की गई गलती के बारे में 20-5-1999 पर मध्यस्थों के समक्ष याचिकाकर्ता ने मध्यस्थों से साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर देने का अनुरोध किया। यह समझा जा सकता है कि क्या मध्यस्थों ने मामले को एम/एस के लिए बंद कर दिया है।

केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पुरस्कार तुरंत दिया गया लेकिन चूंकि मध्यस्थों ने

20-5-1999 द्वारा अपना पुरस्कार नहीं दिया था, उन्होंने भी नहीं दिया था

इसके तुरंत बाद उन्हें पुरस्कार दिया गया, लेकिन नवंबर 1999 तक इंतजार किया गया

अपना फैसला देने के लिए मध्यस्थ आसानी से अनुमति दे सकते थे

याचिकाकर्ता साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मध्यस्थ

याचिकाकर्ता को नेतृत्व करने का अवसर देने से इनकार करना उचित था

डिवीजन बेंच बिना किसी आगे की चर्चा के "। इस न्यायालय ने तब एकल न्यायाधीश के फैसले को भाषा में खारिज कर दिया

मध्यस्थता के उद्देश्य को देखते हुए आज और भी अधिक उपयुक्त है

1996 , इस प्रकार हैः

" 16. उपरोक्त से यह देखा जाता है कि न्यायालय की अधिकारिता

पुरस्कार को अलग रखने के लिए किसी याचिका या आवेदन पर विचार करना

अधिनियम की धारा 30 के तहत आधारों तक बेहद सीमित है

इसमें उल्लेख किया गया है और हम यह नहीं सोचते हैं कि

एक मध्यस्थ द्वारा स्थगन के मापदंडों के भीतर आता है अधिनियम की धारा 30। किसी भी तरह से मध्यस्थ का इनकार

1999 में लंबित मध्यस्थता कार्यवाही में स्थगन की मांग की गई

1995 से इसे ध्यान में रखते हुए विकृत नहीं कहा जा सकता है

विवादों के त्वरित समाधान के लिए "। 22. श्री बनर्जी ने तब कई निर्णयों का उल्लेख किया जिनमें शामिल हैं -

कुरोवा होल्डिंग ए. एस. बनाम सोनेरा होल्डिंग बी. वी. (2014) यूकेपीसी

प्रिवी काउंसिल। इस निर्णय में, न्यूनतम (ऊपर) परीक्षण

निम्नलिखित अनुमोदन के साथ निर्दिष्ट किया गयाः

" 31. धारा 36 (2) (सी) इंग्लैंड में मध्यस्थता अधिनियम 1996 की धारा 103 (2) (सी) के समान है। वे अनुच्छेद वी (1) (बी) को प्रतिबिंबित करते हैं। न्यूयॉर्क कन्वेंशन। मिनमेटल्स जर्मनी में जी. एम. बी. एच. वी.

फेरको स्टील लिमिटेड [1999] सी. एल. सी. 647,658 जे. कोलमैन ने कहा कि उप-धारा में विचार किया गया है कि प्रवर्तक को रोका गया है

अपने नियंत्रण से बाहर के मामलों द्वारा अपने मामले को प्रस्तुत करने से, जो आम तौर पर उस मामले को शामिल किया जाता है जहां अपनाई गई प्रक्रिया को लागू किया गया है।

कनोरिया बनाम गिनीज [2006] ई. डब्ल्यू. सी. ए. सिविल 222 लॉर्ड फिलिप्स सी. जे. आयोजित अपील न्यायालय में कि धारा के सामान्य अर्थ पर

103 (2) (ग), मध्यस्थता का एक पक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने में असमर्थ है यदि [2020] 9 एस. सी. आर.

उसे उस मामले के बारे में कभी सूचित नहीं किया जाता है जिससे उसे मिलने के लिए बुलाया जाता है। वह. ऊपर उल्लिखित न्यूनतम में बयानों को संदर्भित किया गया है

मंजूरी मिल गई। XXX XXXXX

34. पुरस्कार के प्रवर्तन के लिए सामान्य दृष्टिकोण प्रवर्तन के पक्ष में होना चाहिए। उदाहरण के लिए 973 पर पार्सन्स एंड व्हिटमोर ओवरसीज कंपनी इंक बनाम सोसाइटी जनरल 508 एफ 2 डी 969 (1974) देखें।

" 1958 के कन्वेंशन का मूल जोर विदेशी मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू करने के लिए प्रक्रियाओं को उदार बनाना था. [इसने] स्पष्ट रूप से प्रवर्तन के खिलाफ बचाव करने वाले पक्ष पर सबूत का बोझ स्थानांतरित कर दिया और

उन्होंने अपने बचाव को अनुच्छेद V में निर्धारित सात तक सीमित कर दिया। आई. पी. सी. ओ. (नाइजीरिया) बनाम नाइजीरियाई राष्ट्रीय पेट्रोलियम [2005] 2 लॉयड के प्रतिनिधि 326 में, ग्रॉस जे ने पैरा 11 में कहा, जब इस पर विचार किया गया

अंग्रेजी मध्यस्थता अधिनियम 1996 का समतुल्य प्रावधानः

स्वयं यॉर्क कन्वेंशन "। बोर्ड सहमत है। इसलिए न्यूयॉर्क कन्वेंशन पुरस्कार को लागू करने से इनकार करने के लिए अच्छे कारण होने चाहिए। बोर्ड को ऐसा कोई आधार नहीं दिख रहा है जिसके आधार पर उसे यहां पुरस्कार को लागू करने से इनकार कर देना चाहिए यदि कुकुरोवा यह दिखाने में विफल रहता है कि वह अपने निर्णय को प्रस्तुत करने में असमर्थ था।

अपने नियंत्रण से परे कारणों के लिए मामला।

प्रिवी काउंसिल ने तथ्यों के आधार पर प्राकृतिक न्याय से निपटा और इसे निम्नानुसार अस्वीकार कर दियाः

" 53. ऊपर वर्णित न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण और प्रथम आंशिक पुरस्कार में तर्क से पता चलता है कि इसने कुकुरोवा को अपने मामले को विकसित करने का हर अवसर दिया। जिस आधार पर न्यायाधिकरण अपने निष्कर्ष पर पहुंचा, वह स्पष्ट है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, न्यायाधिकरण ने संकेत दिया कि वह श्री बर्कमेन के साक्ष्य को सही मानता है। इसलिए यह देखना मुश्किल है कि कुकुरोवा किन आधारों पर ठीक से शिकायत कर सकता है। यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि न्यायाधिकरण ने जानबूझकर श्री बर्कमेन के साक्ष्य की उपेक्षा की। हालांकि कुकुरोवा प्रस्तुत करते हैं कि मध्यस्थता का परिणाम अलग होता अगर श्री बर्कमेन को सुनवाई का अवसर मिलता, लेकिन यह किस आधार पर इसकी पहचान नहीं करता है। यह निश्चित रूप से एम/एस को लागू करने की भूमिका का कोई हिस्सा नहीं है।

केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या निर्णय या तो कानून में सही था

या तथ्यों पर "।

23. पूर्वी यूरोपीय इंजीनियरिंग बनाम। विजय कंसल्टिंग

9) 1 एल. एल. आर. 1 (क्यू. बी. डी.), क्वींस बेंच डिवीजन ने निपटाया

कुकोरोवाहोल्डिंग्स का पालन करके मामले की चुनौती पेश करने की क्षमता

क) और न्यूनतम (ऊपर), और फिर समापनः

पुरस्कार को यह भी प्रदर्शित करना चाहिए कि मध्यस्थता का परिणाम अगर प्राकृतिक का उल्लंघन नहीं होता तो यह अलग होता।

न्याय "।

"किसी के नियंत्रण से बाहर के मामलों" के परीक्षण को लागू करते हुए, यह पाया गया

इस आधार पर सी. एल. की चुनौती निम्नानुसार उसके नियंत्रण से बाहर नहीं थीः

" 98. इस विशिष्ट संदर्भ में वीसीएल ने क्या नहीं किया (और पूरी तरह से)

अच्छा किया जा सकता था) मध्यस्थ के साथ सवाल उठाना था क्या उनके आदेश का रूप वास्तव में उन्हें लगाने से रोकता है

डॉ. डू टोइट मलान के एक बयान में, या प्रस्तुतियाँ करने के लिए

उन्हें किसी अन्य पहचाने गए व्यक्ति से सबूत प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों थी

प्रस्तुतियों का जवाब देने के लिए व्यक्ति। इसके बजाय वे

उन्होंने इस आधार पर निर्णय को चुनौती देने की कोशिश की कि वे नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए जिसमें सभी मुद्दे शामिल हों,

केवल लार्ज 3 के जवाब में नहीं। इस फैसले को चुनौती देने के लिए

एक आधार और दूसरा नहीं एक ऐसा मामला है जो पूरी तरह से इसके भीतर था।

वी. सी. एल. का नियंत्रण। 99. उन परिस्थितियों में भी मैं इस निवेदन को स्वीकार करता हूं कि

लार्ज 3 का प्रवेश (या उत्तरदायी साक्ष्य की अनुमति देने में विफलता)

मध्यस्थता के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। द. दायित्व निर्णय श्री लार्ज की पिछली रिपोर्टों पर आधारित था और

अन्य गवाह। यह एक सामान्य आधार है। क्वांटम के संबंध में, लार्ज 3 पर मध्यस्थ की निर्भरता में कमी का प्रभाव पड़ा

ई. ई. ई. एल. को दी गई राशि (लगभग 9 मिलियन यूरो द्वारा)। इसलिए यह

यह नहीं कहा जा सकता है कि वी. सी. एल. पर लार्ज 3 का पूर्वाग्रह था। अगर ऐसा होता।

यह अवसर का लाभ उठाने में अपनी विफलता के कारण पूर्वाग्रहित था उसे जवाब देने के लिए दिया गया। "

(जोर दिया गया)

24. जोर्फ लासफर (ऊपर), विजय के अनुच्छेद 61 में संदर्भित

ए (सुप्रा), भी शिक्षाप्रद है। यह मामला एक विशिष्ट याचिका [2020] 9 एस. सी. आर. से संबंधित है।

न्यायाधिकरण के प्रक्रियात्मक आदेशों के संबंध में प्राकृतिक न्याय से संबंधित निम्नलिखित हैः

" 7.हम असहमत हैं। एएमसीआई को एक पूर्ण और निष्पक्ष अवसर दिया गया था

अपना मामला प्रस्तुत करें। हालांकि, एएमसीआई अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा

न्यायाधिकरण के प्रक्रियात्मक आदेशों के तहत, 3 और पीड़ित

परिणाम। यह किसी भी गवाह के बयान प्रस्तुत करने में विफल रहा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित समय सीमा। बल्कि, एएमसीआई ने प्रयास किया कि

श्री थ्रेशर को समय सीमा के बाद गवाह के रूप में नामित करें, और बिना

गवाह का बयान प्रस्तुत करना। ए. एम. सी. आई. ने कोई वृत्तचित्र प्रस्तुत नहीं किया

सबूत एक सरकारी रिपोर्ट को बचाते हैं जो दर्शाता है कि कोयला था कथित उल्लंघन के समय के आसपास कम आपूर्ति।

XXX XXXXX

9.प्रक्रियात्मक आदेश संख्या 4 की आवश्यकताएँ स्पष्ट हैं,

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता व्यवहार में उचित और सामान्य। वहाँ इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ए. एम. सी. आई. ने समझा कि आदेश की क्या आवश्यकता है

समय की। एक पक्ष जानबूझकर प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

निर्णय लेने वाले निकाय के निर्देश, और फिर सफलतापूर्वक दावा करें

कि प्रक्रियाएँ मौलिक रूप से अनुचित थीं, या उनका उल्लंघन किया गया था प्रक्रिया। इन परिस्थितियों में हम पाते हैं कि एएमसीआई विफल रहा है

यह साबित करने के लिए कि मध्यस्थता प्रक्रिया ने हमारा उल्लंघन किया है, अपने बोझ को पूरा करने के लिए मौलिक
निष्पक्षता और न्याय की बुनियादी धारणाएँ। इस प्रकार, एएमसीआई

अनुच्छेद वी (1) (बी) बचाव या दोनों में से किसी का भी लाभ नहीं उठा सकते अनुच्छेद V (2) (b) रक्षा। ”

(जोर दिया
गया)

25. श्री बनर्जी ने तब संयुक्त राज्य अमेरिका के दो जिला न्यायालयों को संदर्भित किया

निर्णय। कन्सोर्सिओ राइव बनाम। कैनकन 134 एफ. सप 2 डी 789, यू. एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ई. डी. लुइसियाना के ब्रिग्स ने पाया कि कैनकन के ब्रिग्स, जो उससे पहले प्रतिवादी थे, ने कैनकन में कथित आपराधिक कार्यवाही के कारण मध्यस्थता में भाग लेने से इनकार कर दिया। मुकदमे में, डेविड ब्रिग्स

(उसमें प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि) ने गवाही दी कि उन्होंने सुनवाई में उपस्थित होने के लिए वैकल्पिक तरीके नहीं खोजे जैसे कि टेलीफोन के माध्यम से, और न ही उन्होंने कंपनी की ओर से पेश होने के लिए कंपनी के प्रतिनिधि को भेजा। इस तथ्य स्थिति में, न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (b) को संदर्भित किया गया था, अदालत का निष्कर्ष थाः

" 26. क्योंकि कैनकन के ब्रिग्स को लगातार सभी के बारे में सूचित किया जाता था

कार्रवाई के बचाव में गवाह और सबूत, कैनकन के ब्रिग्स मध्यस्थता कार्यवाही की उचित सूचना दी गई थी।

एम/एस। केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

27. कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (b) में शामिल उचित प्रक्रिया गारंटी के लिए आवश्यक है कि "एक मध्यस्थ को एक

मुकदमेबाजी को न्यायिक क्षेत्र में समान प्रक्रियाओं की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आईडी. अनिवार्य रूप से, मध्यस्थता के माध्यम से प्राप्त सुविधा और अन्य लाभों के बदले में, पक्षकार "मध्यस्थता में सबसे असाधारण त्रुटियों के अलावा सभी के लिए अदालत से निवारण की मांग करने का अधिकार" खो देता है। डीन वी. सुलिवन, 118 एफ. 3 डी 1170,1173 (7 वां सिर। 1997)।

28. मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने और मध्यस्थता पुरस्कारों को लागू करने की संघीय नीति के अनुरूप, बचाव कि एक पक्ष था " कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (b) के अनुसार उठाए गए अपने मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थता का संकीर्ण रूप से अर्थ लगाया जाता है। पार्सन्स एंड व्हिटमोर

विदेशी कं. वी. सोसाइटी जनरल डी ल 'इंडस्ट्री डु पेपियर, 508 एफ. 2 डी 969,975 (2 डी सिर। 1974)।

29. तत्काल मामले में, अदालत ने पाया कि कैनकन के ब्रिग्स "अपना मामला पेश करने में असमर्थ" नहीं थे, क्योंकि कैनकन के ब्रिग्स मध्यस्थता में डेविड ब्रिग्स की भौतिक उपस्थिति के अलावा अन्य तरीकों से भाग ले सकते थे। उदाहरण के लिए, कैनकन के ब्रिग्स उपस्थित होने के लिए कंपनी के प्रतिनिधि को भेज सकते थे; उपस्थित होने के लिए अपने वकील को भेज सकते थे; या डेविड ब्रिग्स उपस्थित हो सकते थे। टेलीफोन।

30. इसके अलावा, साक्ष्य इंगित करते हैं कि कैनकन के ब्रिग्स ने इस हद तक भाग लिया कि उन्होंने एक मध्यस्थ को नामित किया और दायर किया

अपनी स्थिति के समर्थन में कानूनी तर्क और प्रलेखन के 80 से अधिक पृष्ठ। क्योंकि कैनकन के ब्रिग्स ने कोई अतिरिक्त जानकारी या सबूत सामने नहीं लाया है जो उन्होंने प्रस्तुत किया होगा

मध्यस्थता यदि उसे ऐसा करने का अवसर मिला, तो न्यायालय ने पाया कि कैनकन के ब्रिग्स के पास मध्यस्थता में सार्थक रूप से भाग लेने का अवसर था।

XXX XXXXX 33. पूर्वगामी कारणों से, न्यायालय ने पाया कि कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (b) के तहत कैनकन के बचाव के ब्रिग्स को [2020] 9 एस. सी. आर. होना चाहिए।

असफल हो जाते हैं। न्यायालय विशेष रूप से यह भी पाता है कि भले ही एक डेविड ब्रिग्स के खिलाफ कुछ समय के लिए लंबित वैध गिरफ्तारी वारंट, कैनकन के ब्रिग्स कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (b) के तहत बचाव के हकदार नहीं हैं क्योंकि कैनकन के ब्रिग्स के पास हो सकता है

अपने मैक्सिकन वकील या कॉर्पोरेट के माध्यम से भाग लिया प्रतिनिधि या टेलीफोन द्वारा। इसके अलावा, कैनकन के ब्रिग्स ने नहीं किया है

यह प्रदर्शित किया कि यह किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त था

कथित आपराधिक कार्रवाई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, क्योंकि

इसने दोषमुक्त करने वाले सबूत की ओर इशारा नहीं किया है कि इसके पास होगा

प्रस्तुत किया, लेकिन नहीं कर सका, लेकिन तथ्यों के आपराधिक बयान को दाखिल करने के लिए।

26. इन फोर सीजन्स होटल्स वी. कंसोर्सिओ बार एस. ए. 613 सप

62 (एस. डी. फ्ला. 2009) , यू. एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एस. डी. फ्लोरिडा, मध्यस्थता में अपनी भागीदारी को बंद करने के बाद, प्रतिवादी से निपटा

अंतिम साक्ष्य सुनवाई से ठीक पहले की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

" इसके अलावा, आंशिक मध्यस्थता पुरस्कार की पुष्टि करने के लिए पिछली कार्रवाई में छूट के मुद्दे के संबंध में अपील न्यायालय द्वारा अंततः किए गए निर्णय की परवाह किए बिना, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र और वाद-विरोधी निषेधाज्ञा के औचित्य के मुद्दे को कार्रवाई में किसी न किसी तरह से निर्णायक रूप से तय किया जाना था।

आंशिक मध्यस्थता पुरस्कार की पुष्टि करने के लिए। अधिकारिता के साथ

और वाद-विरोधी निषेधाज्ञा के मुद्दों का इस प्रकार निर्णय लिया गया, कन्सोर्सिओ का अंतिम साक्ष्य सुनवाई से हटना, अधिकार क्षेत्र को लड़ने के अपने अधिकार को बनाए रखने के प्रयास में अंतिम पुरस्कार जारी करने को नियंत्रित करने वाली कार्यवाही, व्यर्थ थी। कंसोरसियो की वापसी इस प्रकार थी क्षेत्राधिकार या विरोधी चुनाव लड़ने के अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए अप्रभावी

आंशिक मध्यस्थता पुरस्कार की अपील में या में वाद निषेधाज्ञा

अंतिम पुरस्कार की पुष्टि करने के लिए यह कार्रवाई।

अपने मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थ। भले ही कंसोर्सिओ का कार्यवाही से हटने का निर्णय सद्भावना के आधार पर लिया गया हो व्यक्तिपरक विश्वास कि इस तरह की कार्रवाई इसके संरक्षण के लिए आवश्यक थी

अपील पर अधिकार, इस तरह की गलतफहमी ने कंसोर्सिओ को अक्षम नहीं बनाया

अपने मामले को अनुच्छेद 5 (1) (बी) के अर्थ के भीतर प्रस्तुत करना। इसलिए, कंसोर्सिओ ने यह साबित करने के अपने बोझ को पूरा नहीं किया है कि अनुच्छेद V (1) (b) बचाव के रूप में लागू होता है। एम/एस।

केंद्रीय खनिज और धातु आईएनसी। वी. हिंडन कॉपर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

27. श्री बनर्जी ने तब उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का उल्लेख किया

कांग काँग, नानजिंग अनाज बनाम में रिपोर्ट किया गया। भाग्यशाली।

परिवर्तन XXI Y. B. com. अरब। 542 (1996) . अनुच्छेद 5 मेंअदालत ने कहाः

" 5.हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों के पास पर्याप्त था

क्वांटम के रूप में अपने स्वयं के साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर

न्यायाधिकरण, लेकिन अपने स्वयं के स्वीकार से वे ऐसा करने में विफल रहे थे। में।

इसके अलावा, इस मुद्दे के बारे में कि क्या मुझे अपना अभ्यास करना चाहिए

XXX XXXXX 7 ..... सभी घटनाओं में, प्रतिवादियों का कहना है कि उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया

न्यायाधिकरण के लिए उनके अपने आंकड़े, हालांकि यह स्पष्ट रूप से जा रहा था

न्यायाधिकरण के समक्ष एक मुद्दा होना, और न ही ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने लाभ उठाया

बाद में उन्हें प्रस्तुत करने का अवसर। यह निर्णय

उन पर निर्भर था। उन्हें अब इसके परिणामों के साथ जीना होगा।

8. उनकी चूक दूसरे में प्रतिवादियों के समान थी। मामला, अर्थात् किंगहुआंगदाओ तोंगडा उद्यम विकास

को. वी. मिलियन बेसिक कंपनी लिमिटेड [1993] 1 एच. के. एल. आर. 173, जहाँ मैं थाः

" यह स्वीकार नहीं किया जाता है कि प्रतिवादी को पेश होने का कोई अवसर नहीं मिला था

उसका मामला। इसके विपरीत, प्रतिवादी ने पर्याप्त का पूरा उपयोग किया अवसर दिया गया और कार्यवाही के बाद ही शिकायत की गई

अंत में बंद कर दिया गया, पूछने का अवसर पहले ही छोड़ दिया गया

उन कार्यवाहियों का विस्तार। सभी कार्यवाहियों में एक होना चाहिए परिमित अंत "।

पुरस्कार को लागू करने के लिए अनुमति से इनकार करने के लिए मेरे लिए पर्याप्त आधार हैं मध्यस्थता अध्यादेश की धारा 44 के तहत। भले ही उन्होंने

पर्याप्त आधारों के बिना, मेरी राय में यह एक उत्कृष्ट मामला है जहाँ

न्यायालय को किसी पुरस्कार को रद्द करने से इनकार करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए,

अपने स्वयं के मामले पर मुकदमा चलाने में प्रतिवादियों की विफलता के कारण

उचित रूप से न्यायाधिकरण को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करके। द.

तथ्य यह है कि पुरस्कार दावेदारों द्वारा मांगे गए पुरस्कार से कम था न करने के विवेक का प्रयोग करने के खिलाफ भी एक शक्तिशाली कारक है

लागू करें "।

(जोर दिया गया)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. श्री बनर्जी ने तब डी मायो ग्यूसेप बनाम में रिपोर्ट किए गए इटली के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया। इंटरस्किंस वाई. बी. कॉम.

XXVII (2002) 492। इतालवी सर्वोच्च न्यायालय, इस पर विचार करते हुएन्यूयॉर्क कन्वेंशन के अनुच्छेद V (1) (b) में निहित विज्ञापन

बनाम ः

कार्यवाही, जो किसी के मामले को प्रस्तुत करना असंभव बनाती है, पुरस्कार के प्रवर्तन से इनकार करने का एक आधार है। डी माइओ रखता है कि वह अपना मामला पेश करने में असमर्थ था क्योंकि यह केवल दिया गया था

मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए चौदह दिन।

[6] " यह न्यायालय मानता है कि डी माइओ द्वारा आरोप लगाए जाने के अनुसार उचित प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, और अपील न्यायालय के निर्णय में इस मुद्दे पर एक या अधिक लापता पृष्ठ इस निर्णय को अमान्य नहीं बनाते हैं। चूंकि यह एक प्रक्रियात्मक दोष है, इसलिए हम इस मुद्दे को सीधे तौर पर सुलझा सकते हैं, इस बात से स्वतंत्र कि क्या निचला निर्णय इस मुद्दे पर कारण देने में विफल रहा, जितना अधिक हम यहां विशेष रूप से व्याख्या और एक प्रक्रियात्मक प्रावधान के अनुप्रयोग से निपटते हैं।

[7] “ कला. वी (1) में प्रावधान है कि वह पक्ष जिसके खिलाफ पुरस्कार है

के इनकार के लिए आधार साबित करने के लिए बोझ है

पत्र (ख) के तहत प्रवर्तन, साथ ही उस पैराग्राफ के अन्य आधार। इसके अलावा, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि समझौते की भावना के अनुसार, मध्यस्थता पुरस्कारों की मान्यता विशिष्ट आवश्यकताओं पर निर्भर करती है जिनकी संक्षिप्त व्याख्या की जानी चाहिए।

[8] " चूंकि वर्तमान मामले में यह निर्विवाद है कि इंटरस्किंस ने डी मायो को सूचित किया कि उसने एक मध्यस्थ नियुक्त किया था, कारण

[9] " दूसरा, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि पत्र (बी) के तहत इनकार करने का आधार किसी के मामले को पेश करने में कठिनाई के बजाय असंभवता से संबंधित है। डी माइओ बहस नहीं करता है और निश्चित रूप से यह साबित नहीं करता है कि वह मध्यस्थता के दौरान अपना मामला पेश नहीं कर सका शुरू किया गया था या जब यह आयोजित किया गया था। एम/एस।

29. अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं। श्री रावल की याचिका कि यह न्यायालय अपने समक्ष रखे गए प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता है क्योंकि एच. सी. एल. के अपने मामले को प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर कोई मतभेद नहीं था, न्यायमूर्ति चटर्जी का इस मामले में एकमात्र निर्णय होने के कारण, उनके पास खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है। पैराग्राफ 7 में हमारे द्वारा निकाला गया संदर्भ आदेश

ऊपर, और जो सेंट्रोट्रेड [2017] (ऊपर) में निर्णय के पैराग्राफ 1 में निहित है, यह स्पष्ट करता है कि, "मतभेद को देखते हुए, मामले को पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है"। कि

व्यक्त कीजिए कि मामले को पूरे मामले के अर्थ के रूप में समझा गया था और न कि केवल मुद्दा 1, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 5 द्वारा आगे स्पष्ट किया गया हैः

" वर्तमान में, हम केवल पहले प्रश्न को संबोधित करने का प्रस्ताव करते हैं और उत्तर के आधार पर, अपीलों को निर्धारित किया जाएगा।

शेष मुद्दे पर सुनवाई के लिए। हमने कुछ हद तक इस असामान्य पाठ्यक्रम को अपनाया है क्योंकि व्यवसाय के रोस्टर ने हमें केवल छिटपुट रूप से अपीलों को सुनने की अनुमति दी है और इसलिए पहले की कार्यवाही हमें लगभग
तीन महीने तक घसीटा गया।

अंत में, 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकालाः

48. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारे सामने पहले प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है। अपीलों को फिर से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए

दूसरे प्रश्न पर विचार जो अपीलीय निर्णय के प्रवर्तन से संबंधित है।

मामले के इस दृष्टिकोण में, हम जे. चटर्जी के विचारों की शुद्धता की जांच करने के लिए आगे बढ़े हैं।

30. श्री रावल ने तर्क दिया है कि लंदन के मध्यस्थ को अनुबंध से संबंधित मूल मुद्दों में जाने से पहले प्रारंभिक प्रश्न के रूप में अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का निर्धारण करना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने स्वयं शुरू में संकेत दिया था। हमें डर है कि यह एक ऐसा तर्क है जो पहले कभी नहीं उठाया गया है, और जिसे श्री रावल ने पहली बार यहां उठाया है। अन्यथा भी, और भले ही हमें श्री रावल द्वारा पहली बार हमें प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के अनुसार जाना पड़े, मध्यस्थ द्वारा 20.12.2000 पर पार्टियों को भेजा गया फैक्स अधूरा है। अन्यथा भी, यह अनुबंध पर विवाद से संबंधित सार के मामलों से पहले अधिकार क्षेत्र और भारतीय कानून के मुद्दों को एक प्राथमिक प्रश्न के रूप में संबोधित करने की बात करता है। इनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शाता है कि विद्वान मध्यस्थ ने अधिकार क्षेत्र के रूप में याचिका को प्रारंभिक आपत्ति के रूप में लेना चाहा, जिसका निर्णय अन्य मामलों से पहले किया जाना चाहिए।

श्री रावल की याचिका, जो पहली बार यहाँ ली गई है और हमारे द्वारा दिए गए कारणों से, सारहीन है।

31. श्री रावल ने तब तर्क दिया कि एच. सी. एल. अपनी स्थिति प्रस्तुत करने में असमर्थ था।

मामला क्योंकि विद्वान मध्यस्थ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 27.04.2000 के स्थगन आदेश पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश मध्यस्थ के खिलाफ नहीं था और न ही निर्देशित किया जा सकता था-यह केवल कार्यवाही के पक्षों के खिलाफ निर्देशित किया गया था। दूसरा, विद्वत मध्यस्थ ने शुरू में कार्यवाही शुरू की, आई. सी. सी. न्यायालय द्वारा मध्यस्थता के साथ आगे बढ़ने के लिए उसे दी गई हरी झंडी के बाद, यह निर्देश देते हुए कि अपीलार्थी सहायक साक्ष्य के साथ प्रस्तुतियाँ देता है, उसके बाद प्रत्यर्थी का जवाब और 19.01.2001 पर साक्ष्य। हालाँकि, इसे केवल 03.05.2001 पर दोहराया गया था, उस समय तक सर्वोच्च न्यायालय ने 08.02.2001 पर विज्ञापन-अंतरिम एकतरफा आदेश को खाली कर दिया था। श्री रावल द्वारा पहली बार हमारे सामने रखी गई इस प्रार्थना में खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है। 32. श्री रावल ने तब जोरदार तर्क दिया कि यह देखते हुए कि अंतिम विस्तार 12.09.2001 पर समाप्त हो गया था, विद्वान मध्यस्थ को दस्तावेजों के दो अन्य बंडल को लेना चाहिए था और उसी के लिए समय देना चाहिए था, क्योंकि न्यूयॉर्क में 11.09.2001 पर आतंकवादी हमला हुआ था।

33. श्री रावल द्वारा पहली बार प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से भी घटनाओं का क्रम यह है कि कानूनी प्रस्तुतियाँ दी गई थीं 11.09.2001 के बाद और मध्यस्थ के कार्यालय द्वारा 13.09.2001 पर प्राप्त किया गया। मध्यस्थ ने तब कहा कि इन प्रस्तुतियों को पुरस्कार में पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है और 18.09.2001 द्वारा आगे किसी भी सामग्री की आपूर्ति की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि पुरस्कार का प्रकाशन जल्द ही होगा। यह विद्वान मध्यस्थ द्वारा एच. सी. एल. के वकीलों, फॉक्स एंड मंडल को 18.09.2001 पर फैक्स द्वारा सूचित किया गया था। इसके बाद ही, 19.09.2001 पर, विद्वान मध्यस्थ को एक कूरियर पत्र भेजा जाता है जिसमें कहा जाता है कि यदि दस्तावेज़ पेपर बाइंडर संख्या में निहित हैं तो फॉक्स और मंडल गहराई से बाध्य होंगे। 1 इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद यह जोड़ा गया कि पेपर बाइंडर नं। 2 , कानून के न्यायालयों और अधिकारियों के निर्णयों को अलग से भेजा जा रहा है और इसमें 19.09.2001 से आगे 7 से 10 दिन का और समय लग सकता है।

34. इस स्तर पर यह बताना महत्वपूर्ण है कि विद्वान मध्यस्थ ने दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए बड़ी संख्या में अवसर दिए थे

और कानूनी प्रस्तुतियाँ। 03.05.2001 पर विद्वान मध्यस्थ ने निर्देश दिया कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी की प्रतिक्रिया और उसमें साक्ष्य का पालन करते हुए, एक स्पष्ट समय सारणी के अनुसार, जवाब देने के लिए अपीलार्थी में अधिकार के साथ, सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करे।

निर्धारित किया गया था। 30.07.2001 पर, चूंकि प्रतिवादी द्वारा निर्धारित समय के भीतर कोई बचाव प्रस्तुतियाँ या सहायक साक्ष्य नहीं दिया गया था, इसलिए समय बढ़ा दिया गया था, जिससे प्रतिवादी को अपना बचाव करने और ऐसा करने के लिए समय बढ़ाने का एक अंतिम अवसर मिला। अगस्त 2001 तक, यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी ने मध्यस्थता कार्यवाही में भाग नहीं लिया, भले ही ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया गया हो। यह केवल 09.08.2001 पर है, जब विद्वान मध्यस्थ ने पक्षों को सूचित किया कि वह पुरस्कार के साथ आगे बढ़ रहा है, कि 11.08.2001 पर, विद्वान मध्यस्थ को फॉक्स एंड मंडल, एच. सी. एल. के वकीलों से एक फैक्स प्राप्त हुआ, जिसमें अपने बचाव में रखने के लिए एक महीने का समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। इसे विद्वान मध्यस्थ द्वारा 16.08.2001 पर स्वीकार किया गया था, जिसमें 31.08.2001 तक का समय दिया गया था। हालाँकि, 27.08.2001 पर, फॉक्स और मंडल ने समय के और तीन सप्ताह के विस्तार की मांग की, जिसे विद्वान मध्यस्थ द्वारा भी प्रदान किया गया था, जिससे 12.09.2001 तक समय के अंतिम विस्तार की अनुमति दी गई थी। इस तथ्य के बावजूद कि 75 पृष्ठों में चलने वाली कानूनी प्रस्तुतियाँ समय से परे प्रस्तुत की गई थीं, जो कि केवल 13.9.2001 पर है, न्यूयॉर्क में 11.09.2001 हमले को देखते हुए, विद्वान मध्यस्थ ने इसे प्राप्त किया और समय से परे होने के बावजूद इसे ध्यान में रखा। यह केवल 29.09.2001 पर था कि विद्वान

इसके बाद मध्यस्थ ने अपना पुरस्कार पारित कर दिया। उपरोक्त समयसीमा को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि विद्वान मध्यस्थ प्रत्यर्थी के प्रति अत्यंत निष्पक्ष था। होने के नाते

यह देखा कि प्रत्यर्थी राजस्थान में न्यायालयों से संपर्क करके मध्यस्थता की कार्यवाही को रोकना चाहता था और आंशिक रूप से सफल होने के बाद, कम से कम फरवरी 2001 तक, प्रत्यर्थी के आचरण के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने और उसके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बार-बार सूचित किए जाने के बावजूद, मध्यस्थ द्वारा यह संकेत दिए जाने के बाद ही कि वह एक पुरस्कार पारित करने जा रहा था, प्रतिवादी के वकील जाग गए और अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए समय मांगना शुरू कर दिया। यह भी विद्वान मध्यस्थ द्वारा न केवल समय का विस्तार देकर, बल्कि इस समय को और भी आगे बढ़ाकर दिया गया था। अंत में, जब 75 पृष्ठों की कानूनी प्रस्तुतियाँ स्वीकृत समय से परे भी भेजी गईं, तो विद्वान मध्यस्थ ने इसे ध्यान में रखा और फिर अपना पुरस्कार पारित कर दिया। यह मामला होने के कारण, तथ्यों पर हम मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में कोई गलती नहीं पा सकते हैं।

35. हालाँकि, न्यायमूर्ति चटर्जी ने अपने फैसले में तथ्य की कई गलतियाँ कीं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सेंट्रोट्रेड के पैराग्राफ 166 में

[2006] (ऊपर), विद्वान न्यायाधीश ने पुरस्कार के पैराग्राफ 8 में उपान्त पंक्ति का हवाला दिया, यहां तक कि उपरोक्त पंक्ति से ठीक पहले की पंक्ति पर भी ध्यान दिए बिना, जिसमें संकेत दिया गया था कि एचसीएल से प्राप्त सामग्री को वास्तव में पुरस्कार देते समय ध्यान में रखा गया था, यहां तक कि 12.09.2001 के निर्धारित समय से परे भी। दूसरा, अनुच्छेद 167, [2020] 9 एस. सी. आर. में।

विद्वान मध्यस्थ, उन दस्तावेजों को छोड़कर जो श्री रावल द्वारा पहली बार हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। वे स्पष्ट रूप से पहले नहीं थे चटर्जी, जे। जब यह अनुमान विद्वान न्यायाधीश द्वारा किया गया था, तो इसके अलावा, मध्यस्थ को इस आधार पर दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा ऊपर निर्दिष्ट अधिकारियों को देखते हुए, मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही और प्रक्रियात्मक आदेशों के नियंत्रण में है जो समय सीमा देते हैं जिनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। पैराग्राफ 168 में, विद्वान न्यायाधीश ने तब कहा कि न्यूयॉर्क में 11.09.2001 पर हमले को देखते हुए, विद्वान मध्यस्थ को और देरी के लिए माफी मांगनी चाहिए थी और तुच्छ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी

तकनीकी गुण। विदेशी अधिनिर्णय को लागू करने वाले न्यायालय का यह दृष्टिकोण हमारे द्वारा ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों के विपरीत है। अन्यथा भी, न्यायमूर्ति चटर्जी, हरि ओम माहेश्वरी (ऊपर) के साथ-साथ न्यूनतम (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख करते हैं, लेकिन फिर उक्त निर्णयों के अनुपात को लागू करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। यदि उन्होंने इन दोनों निर्णयों के अनुपात को भी लागू किया होता, तो यह स्पष्ट होता कि मध्यस्थता अधिनियम के विवादों के त्वरित समाधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक पक्ष के कहने पर कार्यवाही को स्थगित करने से मध्यस्थ का इनकार विकृत नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा, न्यूनतम (ऊपर) परीक्षण चटर्जी, जे द्वारा विज्ञापन भी नहीं किया गया था। , जो यह है कि एच. सी. एल. कभी भी अपना मामला पेश करने में असमर्थ नहीं था क्योंकि यह किसी भी समय इसके नियंत्रण से बाहर नहीं था

विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए समय के भीतर दस्तावेज़ और कानूनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करें। एच. सी. एल. ने मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित नहीं होने का फैसला किया, और उसके बाद मध्यस्थ द्वारा दी गई समय सीमा के बाहर दस्तावेजों और कानूनी प्रस्तुतियों को प्रस्तुत करने का फैसला किया।

36. अन्यथा भी, अनुच्छेद 169 में एक नया निर्णय पारित करने के लिए मामले को आई. सी. सी. मध्यस्थ को भेजना स्पष्ट रूप से इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

1996 के अधिनियम की धारा 48 के तहत एक प्रवर्तन अदालत।

37. इन सभी कारणों से, यह स्पष्ट है कि जे. चटर्जी के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है। नतीजतन, सेंट्रोट्रेड की अपील, 2006 की सिविल अपील संख्या 2562 होने के कारण, स्वीकार की जाती है। जे. चटर्जी के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है। एच. सी. एल. की अपील, 2006 की सिविल अपील संख्या 2564 होने के कारण, खारिज कर दी जाती है।

परिणामस्वरूप, विदेशी पुरस्कार, दिनांक 29.09.2001, अब लागू किया जाएगा।

देविका गुजराल

अपी

ल का निपटारा किया गया।